



The Madhya Pradesh Ayurvedigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011

Act No. 19 of 2011

Amendments appended: 19 of 2023, 2 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2011—वैशाख 16, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 मई 2011

क्र. 2828-177-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 मई 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् २०११

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११

धाराएं :

विषय-सूची

अध्याय—एक

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.

अध्याय—दो

विश्वविद्यालय

३. विश्वविद्यालय का निगमन.
४. उद्देश्य.
५. विश्वविद्यालय की शक्तियां.
६. अधिकारिता.
७. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.
८. विश्वविद्यालय में अध्यापन.
९. विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का निरीक्षण.

अध्याय—तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

१०. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
११. कुलाधिपति और उसकी शक्तियां.
१२. कुलपति की नियुक्ति.
१३. कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें, कुलपति की पदावधि तथा उसके पद में रिक्ति.
१४. कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य.
१५. प्रथम कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य.
१६. कुलाधिसचिव.
१७. कुल सचिव
१८. विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष.
१९. परीक्षा नियंत्रक तथा अन्य अधिकारी.

अध्याय—चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

२०. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
२१. सभा का गठन.
२२. सभा के सम्मिलन तथा उनमें गणपूर्ति.
२३. सभा की शक्तियां और उसके कर्तव्य.

२४. कार्य परिषद्.
२५. कार्य परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य.
२६. वित्त समिति.
२७. विद्या परिषद्.
२८. विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कर्तव्य.
२९. संकाय.
३०. अध्ययन बोर्ड.
३१. अध्ययन बोर्ड की शक्तियां तथा उसके कृत्य.
३२. विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड.
३३. अन्य बोर्ड.

अध्याय—पांच

वित्त

३४. विश्वविद्यालय निधि.
३५. उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सकेगा.

अध्याय—छह

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

३६. परिनियम.
३७. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३८. अध्यादेश.
३९. अध्यादेश किस प्रकार बनाएं जाएंगे.
४०. अध्यादेशों के संबंध में प्रक्रिया.
४१. विनियम.

अध्याय—सात

नामांकन, उपाधियां आदि

४२. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में प्रवेश.
४३. परीक्षकों तथा अनुसूचकों (माडरेटर्स) की नियुक्ति.
४४. महाविद्यालयों तथा विद्यालयों का निरीक्षण एवं रिपोर्ट.
४५. रजिस्ट्रीकृत स्नातक तथा उपाधि पत्र (डिप्लोमा) धारक.

अध्याय—आठ

संपरीक्षा

४६. वार्षिक रिपोर्ट

४७. लेखाओं की संपरीक्षा

अध्याय—नौ

विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों पर नियुक्ति

४८. अध्यापन पदों पर नियुक्ति.

४९. विश्वविद्यालय द्वारा देय अध्यापकों का वेतन.

अध्याय—दस

आपात उपबंध

५०. राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी.

५१. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियम को उपांतरित रूप में लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति.

५२. धारा ५१ के अधीन अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि के अवसान का प्रभाव.

अध्याय—ग्यारह

अनुपूरक उपबंध

५३. विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद.

५४. समितियों का गठन.

५५. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.

५६. विश्वविद्यालय तथा निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी.

५७. सेवा की शर्तें.

५८. पेंशन तथा भविष्य निधि.

५९. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

६०. शिक्षण देने के लिए अनुमोदन.

६१. अध्यापकों का वर्गीकरण.

६२. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों की पदावधि.

६३. विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र.

६४. प्राधिकारी का सदस्य होने के लिए निरर्हता.

६५. रजिस्ट्रीकृत स्नातकों तथा उपाधि पत्र धारकों के रजिस्टर में से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के किसी सदस्य को हटाने की शक्ति.

६६. कठिनाइयों का निराकरण.

अनुसूची

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् २०११

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११

[दिनांक २ मई, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ६ मई, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

चिकित्सा, दन्त, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग, नेचरोपैथी, सिद्ध, सह-चिकित्सा तथा अन्य सहबद्ध विषयों में उपाधि और उपाधि पत्र स्तर पर व्यवस्थित, दक्षतापूर्ण एवं गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा विज्ञान का एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय—एक

प्रारंभिक

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ है.

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

परिभाषाएं.

(क) "विद्या परिषद्" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;

(ख) "संबद्ध महाविद्यालय या विद्यालय" से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जिसे इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं;

(ग) "स्वशासी महाविद्यालय या विद्यालय" से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य परिषद् द्वारा स्वशासी संस्था के रूप में घोषित किया गया है;

(घ) "अध्ययन् बोर्ड" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का अध्ययन् बोर्ड;

(ङ) "होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्" से अभिप्रेत है, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७३ (१९७३ का ५९) के अधीन स्थापित होम्योपैथी परिषद्;

(च) "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्" से अभिप्रेत है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० (१९७० का ४८) के अधीन गठित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्;

(छ) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;

(ज) "महाविद्यालय या विद्यालय" से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन संधारित किया जाता है या जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं;

(झ) "सभा (कोर्ट)" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट);

- (ज) “संकायाध्यक्ष/प्राचार्य” से अभिप्रेत है, महाविद्यालय या विद्यालय का संकायाध्यक्ष/प्राचार्य और जहां कोई संकायाध्यक्ष/प्राचार्य नहीं है, वहां वह व्यक्ति सम्मिलित है जो संकायाध्यक्ष/प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है;
- (ट) “विभाग” से अभिप्रेत है, प्राध्ययन विभाग और उसमें अध्ययन केन्द्र सम्मिलित है;
- (ठ) “भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्” से अभिप्रेत है, दंत चिकित्सक अधिनियम, १९४८ (१९४८ का १६) के अधीन स्थापित दंत चिकित्सा परिषद्;
- (ड) “कर्मचारी” से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा अन्य कर्मचारिवृन्द सम्मिलित हैं;
- (ढ) “कार्य परिषद्” से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;
- (ण) “संकाय” से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का संकाय;
- (त) “विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष” से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षण देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किए गए किसी अध्यापन विभाग का अध्यक्ष और उसमें सम्मिलित है किसी ऐसे महाविद्यालय या विद्यालय का, जो कि गवेषणा कार्य में अभिवृद्धि करने के लिए या विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो, संचालक या संकायाध्यक्ष/प्राचार्य;
- (थ) “महाविद्यालय या विद्यालय का विभागाध्यक्ष” से अभिप्रेत है, किसी महाविद्यालय या विद्यालय का कोई विभागाध्यक्ष;
- (द) “छात्रावास” से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या ऐसे विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए निवास स्थान की या सामूहिक जीवन की इकाई जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्था की गई है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया गया है या मान्यता दी गई है;
- (ध) “भारतीय नर्स परिषद्” से अभिप्रेत है, भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, १९४७ (१९४७ का ४८) के अधीन स्थापित नर्स परिषद्;
- (न) “भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्” से अभिप्रेत है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १०२) के अधीन स्थापित आयुर्विज्ञान परिषद्;
- (प) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-८५-पच्चीस-४-८४, तारीख २६ दिसम्बर, १९८४ द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग;
- (फ) “सह-चिकित्सा परिषद्” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, २००० (क्रमांक १ सन् २००१) के अधीन स्थापित सह-चिकित्सा परिषद्;
- (ब) “विश्वविद्यालय से संसक्त व्यक्ति” से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या किसी विद्यालय का कोई कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का या महाविद्यालय या विद्यालय के प्रबंधक-वर्ग (मैनेजमेंट) का कोई सदस्य;
- (भ) “रजिस्ट्रीकृत स्नातक या डिप्लोमा धारक” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया या रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा गया कोई स्नातक या डिप्लोमा धारक;

- (म) “प्राध्ययन केन्द्र” से अभिप्रेत है, उच्चतर विद्या तथा गवेषणा के स्थान के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा संधारित की गई संस्था;
- (य) “अनुसूचित जातियों” से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई अनुसूचित जातियां;
- (यक) “अनुसूचित जनजातियों” से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई अनुसूचित जनजातियां;
- (यख) “शासन का सचिव” में सम्मिलित है, शासन का अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा शासन का प्रमुख सचिव;
- (यग) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग;
- (यघ) “परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों” से अभिप्रेत हैं, विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम;
- (यङ) “विश्वविद्यालय का अध्यापक” से अभिप्रेत है, आचार्य, (प्रोफेसर), सह-आचार्य (ऐसोसिएट प्रोफेसर) उपाचार्य (रीडर), सहायक आचार्य, प्राध्यापक तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विद्या परिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय या विद्यालय या ऐसी संस्था में, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता है या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी गई है, शिक्षण देने के लिये या गवेषणा कार्य का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं;
- (यच) “विश्वविद्यालय” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय;
- (यछ) “कुलपति” से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलपति;
- (यज) “व्यापम” से अभिप्रेत है, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.

अध्याय—दो विश्वविद्यालय

३. (१) विश्वविद्यालय का कुलाधिपति तथा प्रथम कुलपति और विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट), कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य विश्वविद्यालय का गठन करेंगे तथा इस प्रकार गठित किया गया विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय होगा; विश्वविद्यालय का निगमन.

(२) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा;

(३) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने, किसी ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति को, जो कि उसमें निहित हो गई हो, या विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा अर्जित की गई हो, पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अंतरित करने तथा संविदा करने और ऐसी समस्त अन्य बातें, जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं, करने के लिए सक्षम होगा;

(४) विश्वविद्यालय का मुख्यालय जबलपुर में होगा.

उद्देश्य.

४. विश्वविद्यालय के अन्य बातों के साथ निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:—

- (क) स्वास्थ्य शिक्षा की ऐसी पद्धति उपलब्ध कराना जो स्वास्थ्य और सहबद्ध स्वास्थ्य की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप होने योग्य हो;
- (ख) अध्यापन तथा सीखने की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाना;
- (ग) परामर्श, निरंतर चलती रहने वाली शिक्षा तथा गवेषणा और विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए अनुकूल वातावरण हेतु व्यवस्था करना;
- (घ) पारस्परिक फायदों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य निकायों से सशक्त संबंध विकसित करना और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना;
- (ङ) विद्यार्थियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थाओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना;
- (च) पूर्व छात्रों के साथ जीवन्त सम्पर्क बनाए रखना और पूर्व छात्रों द्वारा प्रयोजित किए गए कार्यक्रमों को विकसित करना.

विश्वविद्यालय की शक्तियां.

५. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

- (एक) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण उपलब्ध कराना और गवेषणा कार्य तथा ज्ञान के अभिवर्धन एवं प्रसारण के लिए उपबंध करना;
- (दो) अध्यापन तथा गवेषणा के लिए, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा अन्य साधनों को स्थापित करना;
- (तीन) महाविद्यालयों, विद्यालयों, अध्यापन-विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, छात्रावासों तथा अतिथि-गृहों को स्थापित करना और संधारित करना तथा ऐसी स्थापनाओं का प्रबंध करना;
- (चार) (क) विश्वविद्यालय को अपेक्षित आचार्य पद, सह-आचार्य पद, उपाचार्य पद, सहायक आचार्य पद, प्राध्यापक पद तथा विद्या संबंधी कोई अन्य पद या कोई अध्यापन पद संस्थापित करना और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;
(ख) ऐसे व्यक्तियों को, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये नियुक्त करना;
- (पांच) अध्यापकों को इस रूप में मान्यता देना कि वे संस्थाओं में शिक्षण देने के लिये अर्हित हैं;
- (छह) प्रख्यात व्यक्तियों को इस प्रयोजन से मान्यता देना कि वे गवेषणा के संबंध में मार्गदर्शन करें;
- (सात) विभिन्न परीक्षाओं के लिए शिक्षण-क्रम अधिकथित करना;
- (आठ) उपाधियां, उपाधि पत्र, प्रमाण-पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं संस्थित करना;

(नौ) ऐसी शर्तों के अधधीन रहते हुए, जैसी कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षाओं, मूल्यांकन या जांच की किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना:

परन्तु विश्वविद्यालय की किसी उपाधि या उपाधि पत्र तक पहुंचने वाली परीक्षा में किसी भी व्यक्ति को तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने, यदि उसने ऐसी परीक्षा के लिए ऐसा विषय लिया है, जिसके लिए प्रयोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य का पाठ्यक्रम विहित किया गया है, ऐसा कार्य विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय या विद्यालय में पूरा नहीं कर लिया है तथा जब तक कि वह उस कार्य के इस प्रकार पूरा कर लेने के बारे में उस अध्यापन विभाग या प्राध्ययन केन्द्र के विभागाध्यक्ष या उस महाविद्यालय या विद्यालय के संकायाध्यक्ष/प्राचार्य का प्रमाण-पत्र पेश नहीं कर देता है;

(दस) उन व्यक्तियों को, जिन्होंने अध्यादेशों में अभिकथित शर्तों के अधीन गवेषणा कार्य किया है, उपाधि, उपाधि पत्र, प्रमाण-पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(ग्यारह) उपाधियों, उपाधि पत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का उचित तथा पर्याप्त कारणों से प्रत्याहरण करना;

(बारह) अनुमोदित व्यक्तियों को परिनियमों में विहित की गई रीति में सम्मानिक उपाधियां या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(तेरह) ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रूप में नामांकित नहीं हैं, ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हें ऐसे उपाधि-पत्र तथा प्रमाण-पत्र प्रदान करना, जैसे कि विश्वविद्यालय अवधारित कर;

(चौदह) ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित की गई हैं, उन महाविद्यालयों या विद्यालयों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नहीं हैं, अपने विशेषाधिकार देना, ऐसे समस्त विशेषाधिकारों का या उनमें से किसी भी विशेषाधिकार का प्रत्याहरण करना और महाविद्यालयों या विद्यालयों का प्रबंध ग्रहण करना;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन विभाग, प्राध्ययन केन्द्र या किसी महाविद्यालय या विद्यालय को स्वशासी महाविद्यालय या विद्यालय के रूप में घोषित करना :

परंतु स्वायत्तता, जो विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापन विभाग, ऐसे प्राध्ययन केन्द्र या ऐसे महाविद्यालय या ऐसी संस्था को प्राप्त हो सकेगी, की सीमा ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए तथा वे विषय, जिनके कि संबंध में वह ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग कर सकेंगे, ऐसे होंगे, जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं;

(सोलह) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों या विद्यालयों में अध्यापन तथा गवेषणा कार्य का संचालन करना, समन्वय करना, विनियमन करना तथा नियंत्रण करना;

(सत्रह) परिनियमों तथा अध्यादेशों में विहित की गई रीति में ऐसे छात्रावासों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नहीं हैं, मान्यता देना तथा किसी ऐसी मान्यता का प्रत्याहरण करना;

(अठारह) महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि उनमें शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण का उचित स्तर बनाए रखा जाता है;

- (उन्नीस) समाज के कमजोर वर्गों के तथा विशिष्टतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा सामान्य निर्धन वर्ग के शैक्षणिक हित को विशेष रूप से ध्यान देते हुए संप्रवर्तित करना;
- (बीस) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा पूर्व छात्रों के लिए पुनः सद्यक पाठ्यक्रमों (रिफ्रेशर कोर्सेस) तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (बोकेशनल कोर्सेस) की सुविधाएं देना;
- (इक्कीस) ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों के साथ सहयोग तथा सहकार करना
- (बाईस) निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करना—
- (क) बहिवर्ती (एक्सट्राम्यूरल) अध्यापन तथा विस्तारी सेवा;
- (ख) पत्राचार पाठ्यक्रम;
- (ग) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप;
- (घ) समाज सेवा स्कीमें;
- (ङ) राष्ट्रीय कैडेट कोर;
- (च) छात्र संघ.
- (तेईस) संघ या राज्य सरकार के अधीन सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रशिक्षण की तथा ऐसे अन्य प्रशिक्षण की जो राष्ट्रीय विकास में सहायक हों, व्यवस्था करना;
- (चौबीस) निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना:—
- (क) सूचना ब्यूरो;
- (ख) नियोजन ब्यूरो; और
- (ग) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग;
- (पच्चीस) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, आचरण अनुशासन का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने हेतु इंतजाम करना;
- (छब्बीस) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों की, जो कि अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं, मांग करना तथा उनका संदाय प्राप्त करना;
- (सत्ताईस) ऐसी फीस तथा ऐसे अन्य प्रभार जो महाविद्यालयों द्वारा प्राप्त किए जा सकेंगे या वसूल किए जा सकेंगे, विहित करना तथा उनका नियंत्रण करना;
- (अट्ठाईस) प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;
- (उन्तीस) विश्वविद्यालय के वैतनिक अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों पर परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार नियंत्रण रखना;

- (तीस) न्यासों तथा विन्यासों (एंडाउमेंट्स) को धारण करना और उनका प्रबंध करना तथा अध्येतावृत्तियां (फेलोशिप्स), छात्रवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां (एकजीविशन्स), वजीफा (बर्सरीज), पदक एवं अन्य पुरस्कार संस्थित तथा प्रदान करना;
- (इकतीस) सदान तथा अनुदान प्राप्त करना और निधियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विनिहित करना;
- (बत्तीस) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की संपत्ति पर, प्रतिभूति पर धन उधार लेना;
- (तैंतीस) जहां कहीं चुने गए अभ्यर्थियों की सूची व्यापम द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है वहां विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी मापदण्ड, जिनके अंतर्गत परीक्षा मूल्यांकन या जांच की कोई अन्य पद्धति आती है अवधारित करना;
- (चौतीस) महिला विद्यार्थियों के संबंध में ऐसे विशेष इंतजाम करना जिन्हें कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;
- (पैंतीस) कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना;
- (छत्तीस) समस्त ऐसे कार्य तथा बातें, चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हों या न हों, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपेक्षित हैं, करना.

६. (१) विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

अधिकारिता.

(२) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था के संबंध में जो चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी, सिद्ध, सह-चिकित्सा और अन्य सहबद्ध विषयों में शिक्षा दे रहा है और उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्र की सीमाओं में स्थित है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसी तारीख से, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, विश्वविद्यालय से सहयुक्त है और उसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार मिल गए हैं और वह परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित की गई रीति में अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड से सहयुक्त नहीं रह जाएगा.

(३) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात,—

- (क) ऐसे महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी जिन्हें यथास्थिति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् या सह-चिकित्सा परिषद् द्वारा और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो;
- (ख) चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, सह-चिकित्सा, योग, नेचुरोपैथी, सिद्ध या सहबद्ध विषयों के अध्यापन में लगे हुए किसी विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग को लागू नहीं होगी;
- (ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा संधारित या संबद्ध महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी.

(४) ऐसे महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं, किए जा रहे गवेषणा और विकास संबंधी कार्यों को विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों में ऐसी तारीख या तारीखों से समन्वित और एकीकृत किया जाएगा जो कि विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं द्वारा पारस्परिक सहमति से नियत की जाएं.

विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.

७. विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को—

- (क) विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करने; या
- (ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य होने; या
- (ग) अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाने या स्वीकार किए जाने; या
- (घ) किसी उपाधि, उपाधिपत्र या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं या अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए जाने या किसी उपाधि, उपाधिपत्र या अन्य विद्या संबंधी विशिष्टता के लिए अर्हित होने; या
- (ङ) विश्वविद्यालय के किन्हीं भी विशेषाधिकारों या उसके फायदों का उपभोग या प्रयोग करने; या
- (च) विन्यास का सृजन करने के लिए निधियों का संदान करने का हकदार बनाने के लिए धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या राजनैतिक या अन्य विचारधारा संबंधी कोई परीक्षण या शर्त अधिरोपित करे:

परन्तु विश्वविद्यालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन रहते हुए या तो शिक्षा, शिक्षण या निवास हेतु किसी महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था को अनन्य रूप से महिलाओं के लिए चला सकेगा या विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे या नियंत्रित किए जा रहे किसी महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था में, विद्यार्थियों के रूप में प्रवेश देने के प्रयोजनों के लिए महिलाओं या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों या निःशक्तों के लिए स्थान आरक्षित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि इस धारा में की किसी भी बात के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा करती है कि वह परिणियमों या अध्यादेशों में विहित की गई संख्या से अधिक संख्या में या परिणियमों अथवा अध्यादेशों में विहित की गई शैक्षणिक या अन्य अर्हताओं से कम अर्हता वाले विद्यार्थियों को किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश दे.

विश्वविद्यालय में अध्यापन.

८. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के संबंध में समस्त मान्यता प्राप्त अध्यापन कार्य, ऐसे अध्यापन का आयोजन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी एवं पाठ्यचर्या ऐसी होगी जैसी कि यथास्थिति, परिणियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित की जाए.

विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का निरीक्षण.

९. (१) कुलाधिपति, स्वप्रेरणा से और राज्य सरकार द्वारा निवेदन किये जाने पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें कि वह निदेश दे, विश्वविद्यालय का, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों, कर्मशालाओं तथा उपस्करों का और ऐसे किसी महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता है या जिसे उसके विशेषाधिकार दिए गए हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं या उसके द्वारा किए गए अध्यापन तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवा सकेगा, तथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था में उनके प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी भी मामले के बारे में वैसी ही रीति में जांच करवा सकेगा.

(२) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण करवाने या जांच करवाने के अपने आशय की सूचना —

- (क) विश्वविद्यालय को देगा, यदि ऐसा निरीक्षण या जांच विश्वविद्यालय के संबंध में या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था के संबंध में की जानी है;
- (ख) महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था के प्रबंधक वर्ग को देगा, यदि ऐसा निरीक्षण या जांच किसी महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था के संबंध में, जिसे कि विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं, की जानी है और यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंधक वर्ग इस बात के लिए हकदार होगा कि वह एक प्रतिनिधि नियुक्त करे जिसे यह अधिकार होगा कि वह ऐसे निरीक्षण या ऐसी जांच के समय उपस्थित रहे तथा उस समय उसकी सुनवाई की जाए.

(३) ऐसा व्यक्ति ऐसे निरीक्षण या ऐसी जांच के परिणाम की रिपोर्ट कुलाधिपति को देगा और कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में अपने विचार कुलपति के माध्यम से, यथास्थिति, कार्य परिषद् या उक्त प्रबंधक वर्ग को संसूचित करेगा तथा उस पर कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात् विश्वविद्यालय या प्रबंधक वर्ग को की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में सलाह देगा :

परंतु जहां निरीक्षण या जांच राज्य सरकार द्वारा निवेदन किया जाने पर कार्रवाई गई है, वहां कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, इस उपधारा के अधीन कार्रवाई करेगा.

(४) यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग, कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को ऐसी कार्रवाई की, यदि कोई हो, जो उसने ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप की है या जिसका करना प्रस्तावित हो, सूचना देगा और ऐसी रिपोर्ट, ऐसे समय के भीतर, जैसा कि कुलाधिपति निदेश दे, भेजी जाएगी.

(५) जहां कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति के समाधान योग्य कार्रवाई न करे, वहां कुलाधिपति, कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, राज्य सरकार के परामर्श से ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जैसे कि वह उचित समझे, और यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा.

अध्याय तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

१०. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

- (एक) कुलाधिपति;
- (दो) कुलपति;
- (तीन) कुलाधिसचिव (रेक्टर);
- (चार) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (पांच) कुलसचिव;
- (छह) परीक्षा नियंत्रक;
- (सात) विद्यार्थी-कल्याण का संकायाध्यक्ष; और
- (आठ) विश्वविद्यालय की सेवा में के ऐसे अन्य अधिकारी, जो कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं.

११. (१) मध्यप्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा.

कुलाधिपति और उसकी शक्तियां.

(२) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का अध्यक्ष होगा और जब वह उपस्थित हो, सभा के सम्मिलनों की या विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा.

(३) कुलाधिपति—

- (क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित कोई भी कागज-पत्र या जानकारी मंगा सकेगा; और

(ख) अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, धारा ५३ के अधीन आने वाले मामले के सिवाय कोई भी मामला विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसने ऐसे मामले पर पूर्व में विचार किया हो, पुनर्विचार के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

(४) कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा;—

(क) विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या निकाय की जिसका गठन इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किया गया है, किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों को, जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप नहीं हैं ; या

(ख) किसी प्राधिकारी, समिति या किसी अन्य निकाय की किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों को, जो कुलपति द्वारा धारा १४ की उपधारा (७) के अधीन उसे निर्देशित की गई हैं, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं, बातिल कर सकेगा :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश करने के पूर्व वह संबंधित अधिकारी, प्राधिकारी, समिति या निकाय को यह कारण दर्शाने के लिए अपेक्षित करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि उसके द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर कोई कारण दर्शाया जाए, तो वह उस पर विचार करेगा।

(५) जहां कुलाधिपति उपधारा (४) के अधीन कार्यवाहियों को बातिल करते हुए कोई आदेश पारित करता है तो वह उसके संबंध में इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप ऐसा पश्चतावर्ती आदेश कर सकेगा जैसा कि वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे और इस प्रकार किया गया आदेश अंतिम होगा।

(६) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति के पुष्टिकरण के अधधीन होगी।

(७) कुलाधिपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाएं।

कुलपति की
नियुक्ति.

१२. (१) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (२) या उपधारा (६) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात कम से कम तीन व्यक्तियों की तालिका (पैन्ल) में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी :

परन्तु यदि समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति, नियुक्ति प्रतिगृहीत करने के लिए रजामंद न हों तो कुलाधिपति ऐसी समिति से नई सिफारिशें मंगा सकेगा :

परन्तु यह और कि प्रथम कुलपति राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि कोई व्यक्ति जिसने छियासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, कुलपति के रूप में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(२) कुलाधिपति एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक) कार्य परिषद् द्वारा निर्वाचित किया गया एक व्यक्ति;

(दो) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक व्यक्ति;

(तीन) कुलाधिपति द्वारा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र से नामनिर्देशित किया गया एक विख्यात व्यक्ति;

कुलाधिपति इन तीन व्यक्तियों में से एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा.

(३) उपधारा (२) के अधीन समिति गठित करने के लिए कुलाधिपति, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छह मास पूर्व, कार्य परिषद् तथा राज्य सरकार को अपने-अपने नामनिर्देशितियों को चुनने के लिए अपेक्षित करेगा और यदि उनमें से कोई भी या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहें, तो कुलाधिपति, यथास्थिति, पुनः किसी एक या दोनों व्यक्तियों को नाम निर्देशित कर सकेगा.

(४) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या विद्यालय से संसक्त है, उपधारा (२) के अधीन समिति के लिए निर्वाचित या नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा.

(५) समिति अपने गठन के तारीख से छह सप्ताह के भीतर या कुलाधिपति द्वारा बढ़ाए चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर तालिका प्रस्तुत करेगी.

(६) यदि किन्हीं कारणों से वह समिति, जो उपधारा (२) के अधीन गठित की गई है, उपधारा (५) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहती है, तो कुलाधिपति उपधारा (२) से (५) के उपबंधों के अनुसार एक अन्य समिति गठित करेगा.

१३. (१) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी परिलब्धियां एवं सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं.

(२) कुलपति चार वर्ष की अवधि या सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और वह दो से अधिक पदावधियों के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तें, कुलपति की पदावधि तथा उसके पद में रिक्ति.

परंतु उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाए और वह अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में छह मास से अधिक नहीं होगी.

(३) यदि किसी समय अभ्यावेदन किया जाने पर या अन्यथा और ऐसी जांच, जो कि आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात् कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति ने—

(एक) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किए गए किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है; या

(दो) विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य किया है; या

(तीन) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ है तो कुलाधिपति इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, लिखित आदेश द्वारा जिसमें कारणों का विवरण रहेगा, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपना पद त्याग दे.

(४) उपधारा (३) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उन आधारों की विशिष्टियां, जिन पर कि ऐसी कार्रवाई का किया जाना प्रस्तावित है, कुलपति को संसूचित नहीं कर दी गई हैं तथा उसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है.

(५) उपधारा (३) के अधीन के आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से यह समझा जाएगा कि कुलपति ने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जाएगा।

(६) कुलपति की मृत्यु, उसके पदत्याग, छुट्टी, रूग्णता के कारण या अन्य कारण से उसका पद रिक्त होने की दशा में जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, तो कुलाधिसचिव और यदि कुलाधिसचिव की नियुक्ति नहीं की गई है या कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिए नामनिर्देशित किया गया किसी भी संकाय का संकायाध्यक्ष कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जब तक कि धारा १२ की उपधारा (१) अधीन नियुक्त किया गया कुलपति अपना पद यथास्थिति, ग्रहण या पुनःग्रहण न कर ले :

परन्तु इस उधारा के अधीन अनुध्यात किया गया इंतजाम छह मास से अधिक कालावधि के लिए चालू नहीं रहेगा।

कुलपति
शक्तियां
कर्तव्य।
की
तथा

१४. (१) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासनिक तथा विद्या विषयक अधिकारी होगा। वह कार्य परिषद् का तथा विद्या परिषद् का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों का, जिनका कि वह सदस्य है, अध्यक्ष होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी समिति या अन्य निकाय के किसी सम्मेलन में उपस्थित होने तथा बोलने का हकदार होगा, किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय का सदस्य न हो।

(२) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उसे इस प्रयोजन के लिए समस्त आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी।

(३) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद् के तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों के, जिनका कि वह अध्यक्ष है, सम्मेलन बुलाने की शक्ति होगी। वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(४) यदि कुलपति की राय में कोई ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें तुरन्त कार्रवाई की जाना अपेक्षित है तो कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् यथाशीघ्र, अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को करेगा, जो कि मामूली अनुक्रम में उस मामले के संबंध में कार्रवाई करता:

परन्तु कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से विश्वविद्यालय तीन मास से अधिक कालावधि के लिए किसी भी आवर्ती व्यय हेतु वचनबद्ध नहीं होगा :

परन्तु यह और कि जहां कुलपति द्वारा की गई ऐसी कोई कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती है वहां ऐसा व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको कि उसे ऐसी कार्रवाई की संसूचना दी गई है, तीस दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील प्रस्तुत करने का हकदार होगा:

परन्तु यह भी कि इस शक्ति का विस्तार अध्यादेशों, परिनियमों, विनियमों में संशोधन या नियुक्तियों से संबंधित किसी मामले पर नहीं होगा।

(५) उपधारा (४) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई का अनुमोदन नहीं करता है, तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

(६) उपधारा (४) के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई समुचित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई समझी जाएगी जब तक कि वह उपधारा (५) के अधीन दिए गए निर्देश के प्राप्त होने पर कुलाधिपति द्वारा अपास्त नहीं कर दी गई है या उपधारा (४) के द्वितीय परंतुक के अधीन अपील किए जाने पर कार्य परिषद् द्वारा अपास्त नहीं कर दी गई है।

(७) यदि कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय की किसी भी कार्यवाही से विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है, तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगा तथा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा और तदनुसार उसकी इत्तिला संबंधित प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को भी देगा जिस पर संबंधित विनिश्चय तब तक प्रभावशील नहीं किया जाएगा जब तक कि मामला कुलाधिपति द्वारा धारा ११ की उपधारा (४) के अधीन विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है।

(८) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावशील करेगा।

(९) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

१५. विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि यह विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर विश्वविद्यालय की सभा, कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन करे और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति, यथास्थिति, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा:

प्रथम कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य।

परंतु कुलाधिपति यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् एक समिति की नियुक्ति करेगा जिसमें एक शिक्षाविद् तथा एक प्रशासनिक विशेषज्ञ होगा जो ऐसे प्रत्येक प्राधिकारी के बदले में कुलपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा कृत्यों का पालन करने में सहायता एवं सलाह देगी।

१६. (१) कुलाधिसचिव की नियुक्ति कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी। यदि कार्य परिषद् कुलपति की सिफारिश स्वीकार नहीं करती है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

कुलाधिसचिव।

(२) कुलाधिसचिव, विश्वविद्यालय का वैतनिक अधिकारी होगा। उसकी परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं।

(३) कुलाधिसचिव की पदावधि ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए और इस प्रकार विहित किए जाने तक वे ऐसी होंगी जैसा कि कुलाधिपति द्वारा अवधारित किया जाए।

(४) कुलाधिसचिव, कुलपति के ऐसे कर्तव्यों का पालन तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि उसे कुलाधिपति द्वारा, कुलपति के परामर्श से समनुदेशित किए जाएं तथा वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी कि परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

१७. (१) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुलपति के साधारण अधीक्षण तथा नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए करेगा। वह सभा के कार्य परिषद् के, विद्या परिषद् के अन्य विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

कुलसचिव।

(२) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों में से प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी जिन्हें आचार्य या राज्य सरकार के किसी विभाग में कार्यरत आचार्य के समकक्ष या उच्च श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारियों के पद पर कम से कम ७ वर्ष का अनुभव हो.

(३) कुलसचिव की परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं.

(४) परिनियमों में अन्यथा उपबंधित कार्य परिषद् की शक्तियों के अधधीन रहते हुए, कुलसचिव यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धन उसी प्रयोजन के लिए व्यय किए जाते हैं जिसके लिए वे मंजूर या आवंटित किए गए हैं.

(५) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधधीन अन्यथा उपबंधित किए गए के सिवाय, समस्त संविदाएं विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी और समस्त दस्तावेज तथा अभिलेख विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा अधिप्रमाणीकृत किए जाएंगे.

(६) कुलसचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा उसको प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष.

१८. (१) विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष, कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधधीन इस प्रकार नियुक्त किया गया संकायाध्यक्ष पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा. उसकी परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं:

परंतु कार्य परिषद् यदि ऐसा करना आवश्यक समझे, कुलपति की सिफारिश पर, सह-आचार्य या उपाचार्य के पद से अनिम्न पद के किसी अध्यापक को ऐसे अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के साथ-साथ विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए तीन वर्ष की कालावधि हेतु नियुक्त कर सकेगी और ऐसे मामले में कार्य परिषद् उसे दिए जाने के लिए यथोचित भत्ते मंजूर कर सकेगी.

(३) विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियां परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी.

परीक्षा नियंत्रक तथा अन्य अधिकारी.

१९. (१) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों में से प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी, जिन्हें आचार्य के पद पर कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो.

(२) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं.

(३) परीक्षा नियंत्रक ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं अथवा उस पर अधिरोपित किए जाएं.

(४) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति ऐसी रीति में की जाएगी तथा उनकी परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा विहित की जाएं.

अध्याय चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

२०. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

- (एक) सभा;
- (दो) कार्य परिषद्;
- (तीन) वित्त समिति;
- (चार) विद्या परिषद्;
- (पांच) संकाय;
- (छह) अध्ययन बोर्ड ;
- (सात) विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड;
- (आठ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं.

२१. (१) सभा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

सभा का गठन.

समूह-क

- (एक) कुलाधिपति;
- (दो) कुलपति;
- (तीन) कुलाधिसचिव;
- (चार) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (पांच) चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव;
- (छह) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन;
- (सात) आयुक्त/संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी, मध्यप्रदेश शासन;
- (आठ) विद्यार्थी-कल्याण का संकायाध्यक्ष.

समूह-ख

- (नौ) विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग/प्राध्ययन केन्द्रों/अध्ययन केन्द्रों से एक आचार्य, सह आचार्य/ उपाचार्य और एक सहायक आचार्य/व्याख्याता जो परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में उनमें से निर्वाचित किए जाएंगे;
- (दस) संबद्ध महाविद्यालय से एक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य, एक आचार्य/सह आचार्य/ उपाचार्य और एक सहायक आचार्य/व्याख्याता जो परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में उनमें से निर्वाचित किए जाएंगे;

समूह-ग

- (ग्यारह) विद्वान वृत्तिक का प्रतिनिधित्व करने वाले दो से अनधिक व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा परिनियमों द्वारा विहित रीति में नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;
- (बारह) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी और भारतीय चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नर्सिंग सह-चिकित्सा, योग, नेचुरोपैथी, सिद्ध व्यवसायों के संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले चार से अनधिक व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;
- (तेरह) विधान सभा के चार सदस्य जो विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जाएंगे;
- (चौदह) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों में से पांच प्रतिनिधि जो उनमें से ही निर्वाचित किये जाएंगे;
- (पन्द्रह) प्रत्येक दानदाता जो विश्वविद्यालय को दस लाख रुपये या उससे अधिक दान करता है;
- (सोलह) विश्वविद्यालय के वैतनिक अध्यापनेतर कर्मचारियों में से एक प्रतिनिधि जो उनमें से ही ऐसी रीति में जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए, निर्वाचित किया जाएगा.

खण्ड-घ

- (सत्रह) दो विद्यार्थी जो अध्ययन बोर्ड के विद्यार्थी सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए गए हों;
- (अठारह) दो विद्यार्थी जो उन विद्यार्थियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए गए हों जो निर्वाचन के ठीक पूर्ववर्ती शैक्षणिक सत्र में विश्वविद्यालयीन टूर्नामेन्टों में भाग लेने वाली विश्वविद्यालयीन टीमों के सदस्य रह चुके हों;

समूह-ड

- (उन्नीस) कार्य परिषद् के ऐसे सदस्य जो पूर्ववर्ती समूहों में से किसी भी समूह के अधीन सदस्य न हो.

स्पष्टीकरण :-

- (एक) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक मद के अधीन सभा का सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा;
- (दो) समूह-ख की मद (नौ) के अधीन किसी विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग, प्राध्ययन केन्द्र या महाविद्यालय में से एक से अनधिक व्यक्ति नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;
- (तीन) समूह-घ के प्रयोजन के लिए, विद्यार्थी से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो—
- (क) विश्वविद्यालय के किन्हीं महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग या प्राध्ययन केन्द्र या किसी अन्य संस्था में, अध्यादेशों में अधिकथित निबंधनों तथा शर्तों के अधीन शिक्षण प्राप्त कर रहा हो या गवेषणा कर रहा हो; और
- (ख) १०+२ स्कीम की अपनी कक्षा १२वीं की परीक्षा उस शैक्षणिक सत्र के, जिसमें कि वह निर्वाचित होना चाहता है, प्रारम्भ होने की तारीख से अधिक से अधिक बारह वर्ष पूर्व उत्तीर्ण कर चुका हो और उसने कक्षा १२वीं तथा उसके आगे की प्रत्येक परीक्षा एक ही प्रयास में उत्तीर्ण की है.

(२) उपधारा (१) के समूह-घ के अधीन निर्वाचित किए गए सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

(३) यथास्थिति, उपधारा (१) के समूह-ख तथा समूह-ग के अधीन नामनिर्देशित या निर्वाचित किए गए सदस्यों या उपधारा (१) के समूह-ङ में सम्मिलित किए गए सदस्यों की पदावधि का पर्यवसान सभा की अवधि, जो तीन वर्ष की होगी, के पर्यवसान के साथ होगा।

(४) उपधारा (१) की मद (पन्द्रह) में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक दानदाता उस तारीख से, जिसको विश्वविद्यालय द्वारा दान प्रतिगृहीत किया जाए, ७ वर्ष तक सभा का सदस्य रहेगा और पूर्वोक्त कालावधि के दौरान वह प्रतिनिधि जो ऐसे दानदाता द्वारा समय-समय पर नामनिर्देशित किया जाए, दानदाता समझा जाएगा।

२२. (१) सभा का सम्मेलन एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार होगा तथा कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति के परामर्श से सभा की बैठक बुलाई जाएगी।

सभा के सम्मेलन तथा उनमें गणपूर्ति।

(२) सभा के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी :

परन्तु स्थगित की गई बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

२३. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, सभा निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

सभा की शक्तियां और उसके कर्तव्य।

- (एक) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना;
- (दो) विश्वविद्यालय की विस्तृत नीतियों तथा कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना;
- (तीन) वार्षिक रिपोर्टें, वार्षिक लेखाओं तथा तत्संबंधी संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना;
- (चार) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना;
- (पांच) सम्मानिक उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं कार्य परिषद् की अनुशंसा पर प्रदान करना;
- (छह) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के कार्यों का, जहां कि ऐसे प्राधिकारियों ने उन शक्तियों के अनुसार कार्य नहीं किया है जो कि इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई हैं, पुनर्विलोकन करना;
- (सात) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो कि इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा, उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

२४. (१) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति कार्य परिषद् होंगे, अर्थात् :—

- | | |
|---|---------|
| (एक) कुलपति; | अध्यक्ष |
| (दो) कुलाधिसचिव; | सदस्य |
| (तीन) चिकित्सा शिक्षा, आयुष और वित्त विभाग,
मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव या उनके प्रतिनिधि जो
उपसचिव की श्रेणी से निम्न श्रेणी के न हों; | सदस्य |

(चार)	संबद्ध महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं से एक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य, जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किया जाएगा;	सदस्य
(पांच)	समस्त संकायों के संकायाध्यक्ष;	सदस्य
(छह)	विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा संबद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं से एक आचार्य, जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किया जाएगा;	सदस्य
(सात)	संबद्ध महाविद्यालयों या विद्यालयों से दो विभागाध्यक्ष, जो नर्सिंग या सह-चिकित्सा विषयों में से एक जो कि कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किया जाएगा;	सदस्य
(आठ)	संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश;	सदस्य
(नौ)	आयुक्त/संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी, मध्यप्रदेश;	सदस्य
(दस)	चिकित्सा/दन्त/नर्सिंग/आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी/योग/नेचुरोपैथी/सिद्ध/सह-चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र से दो शिक्षाविद् जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;	सदस्य

(२) कार्य परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे।

(३) कार्य परिषद् के सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी :

परन्तु स्थगित सम्मिलन के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(४) कुलसचिव, कुलाधिपति के परामर्श से कार्य परिषद् की बैठक बुला सकेगा।

कार्य परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य.

२५. इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, कार्य परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

- (एक) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को धारण करना, उन पर नियंत्रण रखना तथा उनका प्रबंध करना;
- (दो) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के अधिकार में रखी निधियों का प्रबंध करना;
- (तीन) वार्षिक लेखे और उनके साथ संपरीक्षा रिपोर्ट को अंगीकृत करना;
- (चार) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन विरचित करना और उन्हें सभा के समक्ष विचारार्थ रखना;
- (पांच) (क) वार्षिक प्राक्कलनों को, सभा के सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् अंगीकृत करना;
- (ख) वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमा नियत करना जो विश्वविद्यालय के संसाधनों पर आधारित होगी, पूंजीगत व्यय की दशा में ऐसे संसाधनों के अंतर्गत उधारों के आगम आएंगे;

(छह) खण्ड (पांच) के अध्यधीन रहते हुए, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय—

(क) बजट अनुदान की रकम कम करना;

(ख) बजट अनुदान के भीतर की किसी रकम को, एक लघुशीर्ष से किसी अन्य लघुशीर्ष को या किसी एक लघुशीर्ष के अन्तर्गत आने वाले किसी अधीनस्थ शीर्ष से किसी अन्य लघुशीर्ष के अंतर्गत आने वाले किसी अधीनस्थ शीर्ष को अंतरित किए जाने की मंजूरी देना; या

(ग) किसी लघुशीर्ष के भीतर की पच्चीस हजार रुपये से अनधिक किसी रकम को, एक अधीनस्थ शीर्ष से किसी अन्य अधीनस्थ शीर्ष को या एक प्रधान इकाई से दूसरी प्रधान इकाई को अंतरित किए जाने की मंजूरी देना;

(सात) विश्वविद्यालय की ओर से निधियां उधार लेना तथा उधार देना :

परन्तु निधियां, विश्वविद्यालय संपत्ति की प्रतिभूति पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उधार नहीं ली जाएंगी;

(आठ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को अंतरित करना :

परन्तु विश्वविद्यालय की किसी भी स्थावर संपत्ति का बंधक, विक्रय, विनिमय, दान के रूप में या अन्यथा अंतरण राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं;

(नौ) इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उसमें फेरफार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें रद्द करना;

(दस) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का रूप अवधारित करना, उसकी अभिरक्षा की व्यवस्था करना तथा उसके उपयोग को विनियमित करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्ण विवरण, जिनमें महाविद्यालय, अस्पताल, छात्रावास और उसके द्वारा स्थापित या संधारित अन्य इकाइयां सम्मिलित हैं प्रतिवर्ष राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना;

(बारह) विद्या परिषद् की सिफारिश पर और इस अधिनियम एवं परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए महाविद्यालयों या विद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और इन विशेषाधिकारों में से किसी भी विशेषाधिकार का प्रत्याहरण करना तथा उस रीति में तथा उन शर्तों के अधीन, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में विहित की गई हों, महाविद्यालयों, विद्यालयों या संस्थाओं का प्रबंध ग्रहण करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन विभाग, प्राध्ययन केन्द्र, महाविद्यालय या विद्यालय को स्वशासी महाविद्यालय या विद्यालय के रूप में घोषित करना :

परन्तु स्वायत्ता, जो विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापन विभाग, प्रत्येक ऐसे प्राध्ययन केन्द्र या प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय या विद्यालय को प्राप्त हो सकेगी, की सीमा ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए तथा वे विषय, जिनके कि संबंध में ऐसी स्वायत्ता का प्रयोग कर सकेंगे, ऐसे होंगे जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं;

- (चौदह) विश्वविद्यालय का कार्य चलाने के लिए आवश्यक भवन, परिसरों, फर्नीचर, साधित्रों (एपरेट्स), पुस्तकों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना;
- (पंद्रह) विश्वविद्यालय के पक्ष में न्यासों, वसीयतों (विक्वेस्ट्स), दानों और किसी जंगम या स्थावर संपत्ति के अंतरणों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिगृहीत करना;
- (सोलह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं तथा विनिधानों का प्रबंध करना और उनका विनियमन करना;
- (सत्रह) निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना :—
- (क) मुद्रण तथा प्रकाशन ब्यूरो;
- (ख) सूचना ब्यूरो;
- (ग) नियोजन ब्यूरो;
- (अठारह) निम्नलिखित के लिए प्रावधान करना :—
- (क) (एक) बहिवर्ती (एक्सट्राम्यूरल) अध्यापन तथा गवेषणा;
- (दो) विश्वविद्यालय विस्तार संबंधी क्रियाकलाप;
- (ख) विद्यार्थी संघ;
- (ग) विद्यार्थी कल्याण;
- (घ) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप;
- (ङ) समाज सेवा स्कीमें; और
- (च) राष्ट्रीय कैडेट कोर;
- (उन्नीस) विद्या परिषद् के समस्त प्रस्तावों की, बजट के ढांचे के भीतर उनके निष्पादन की दृष्टि से समीक्षा करना;
- (बीस) ऐसे आचार्य पदों, सह-आचार्य पदों, उपाचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों/प्राध्यापक पदों या अन्य अध्यापन पदों को, जिनका कि प्रस्ताव विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड द्वारा किया जाए, संस्थित करना :
- परंतु कोई भी अध्यापन पद राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा;
- (इक्कीस) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन करना;
- (बाईस) विश्वविद्यालय के किन्हीं आचार्य पदों, सह-आचार्य पदों, उपाचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों/प्राध्यापक पदों या अन्य अध्यापन पदों को, उनके संबंध में विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने पर समाप्त करना या निलंबित करना;
- (तेईस) महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, गवेषणा या विशेषित अध्ययन संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा छात्रावासों की स्थापना करना, तथा उन संस्थाओं को संधारित करना तथा उनका प्रबंध करना ;

- (चौबीस) छात्रावासों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए आवास स्थान की व्यवस्था करना;
- (पच्चीस) संबद्ध महाविद्यालयों, मान्यताप्राप्त संस्थाओं तथा छात्रावासों के निरीक्षण का इंतजाम करना तथा उनके निरीक्षण के लिए निदेश देना और उनकी दक्षता बनाए रखने तथा उनके कर्मचारिवृन्द के सदस्यों के लिए नियोजन की उचित शर्तों को तथा पर्याप्त वेतनों के संदाय को सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी करना और ऐसे अनुदेशों की अवहेलना की जाने की दशा में, संबद्ध करने या मान्यता देने की शर्तों में, विद्या परिषद् की सिफारिश पर, उपांतरण करना या ऐसे अन्य उपाय करना जिन्हें कि वह उस संबंध में आवश्यक तथा उचित समझे;
- (छब्बीस) एक महाविद्यालय संहिता तैयार करना जिसमें महाविद्यालयों, विद्यालयों तथा संस्थाओं के संबद्ध किए जाने संबंधी निबंधन तथा शर्तें अधिकथित की जाएंगी;
- (सत्ताईस) संबद्ध महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं, विद्यालयों या छात्रावासों से रिपोर्ट, विवरणियां तथा अन्य जानकारी मंगवाना;
- (अट्ठाईस) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रवेश, निवास, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण करना तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिए इंतजाम करना;
- (उन्तीस) परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में सम्मानिक उपाधियां तथा विद्या संबंधी विशिष्टताएं प्रदान करने की कुलाधिपति से सिफारिश करना;
- (तीस) परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में उपाधियों, उपाधि पत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं को प्रदान करना या उनका प्रत्याहरण करना;
- (इकतीस) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पदक तथा पारितोषिक संस्थित करना;
- (बत्तीस) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनके कर्तव्य और उनकी सेवा शर्तें परिनिश्चित करना और अस्थायी रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;
- (तैंतीस) विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक तथा लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृन्द के सदस्यों में अनुशासन का विनियमन तथा प्रवर्तन परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार करना;
- (चौंतीस) किसी संबद्ध या मान्यता प्राप्त संस्था के कर्मचारिवृन्द के सदस्य को विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में मान्यता देना और ऐसी मान्यता का प्रत्याहरण करना;
- (पैंतीस) परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा अन्य जांचों (टेस्ट्स) के संचालन का तथा उनके परिणामों को प्रकाशित करने का इंतजाम करना;
- (छत्तीस) अनाचार (मालप्रेक्टिस) की दशा में परीक्षाओं को अंशतः या पूर्णतः रद्द करना तथा ऐसे अनाचार के दोषी पाये गये किसी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कार्रवाई करना जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों का निष्कासन आता है;
- (सैंतीस) विश्वविद्यालय में नामांकित किए गए विद्यार्थियों, जिनके अंतर्गत किन्हीं भी परीक्षाओं के अभ्यर्थी आते हैं, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना;

- (अड़तीस) कर्मचारिवृन्द के विरुद्ध तथा अन्तरीक्षकों (इन्विजीलेटर्स), के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना;
- (उन्तालीस) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभार, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं, नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;
- (चालीस) अध्यादेश बनाना, उनमें संशोधन करना और उन्हें रद्द करना;
- (इकतालीस) विद्या परिषद् द्वारा विरचित विनियमों को प्रतिगृहीत करना, अस्वीकार करना, या विद्या परिषद् की ओर विचारार्थ वापस करना किन्तु उनमें संशोधन न करना;
- (बयालीस) कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के व्यथा-निवेदनों (ग्रीवांस) को ग्रहण करना, उन्हें न्यायनिर्णीत करना और यदि ठीक समझा जाए तो उनके संबंध में प्रतितोष देना;
- (तैंतालीस) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं;
- (चवालीस) विश्वविद्यालय की समस्त ऐसी शक्तियों का, जो इस अधिनियम या परिनियमों में अन्यथा उपबंधित नहीं की गई हैं तथा समस्त ऐसी अन्य शक्तियों का जो इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित हैं, प्रयोग करना;
- (पैंतालीस) अपनी कोई भी शक्तियां विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को या उसके (कार्य परिषद् के) द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति को, जैसा कि वह उचित समझे, विनियमों द्वारा प्रत्यायोजित करना.

वित्त समिति.

२६. (१) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त समिति का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- (एक) कुलपति;
- (दो) विश्वविद्यालय का कुलसचिव;
- (तीन) विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी;
- (चार) चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव या उनके नामनिर्देशिती जो उपसचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;
- (पांच) वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो उपसचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;

(२) वित्त समिति, विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करेगी;

(३) इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, वित्त समिति, निम्नानुसार शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी :-

- (क) विश्वविद्यालय के आय और व्यय का पुनर्विलोकन करना;

- (ख) वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय का वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करना और उसको कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु रखना और समय-समय पर उसमें संशोधन करने का सुझाव देना;
- (ग) विश्वविद्यालय के आय और व्यय के संबंध में, प्रस्तावों को मंजूर करना और उन पर विनिश्चय करना;
- (घ) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और वार्षिक संपरीक्षा को समय पर पूरा करवाना और संपरीक्षा रिपोर्ट के प्रकाश में समुचित निदेश देना;

(४) तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी जिसमें से कुलपति और उपधारा (१) के खण्ड (चार) या (पांच) में से किसी एक सदस्य की उपस्थिति अत्यावश्यक होगी.

२७. (१) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :— विद्या परिषद्,

- (एक) कुलपति;
- (दो) कुलाधिसचिव;
- (तीन) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन;
- (चार) आयुक्त/संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश शासन;
- (पांच) समस्त संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (छह) अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष;
- (सात) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष;
- (आठ) चार संकायाध्यक्ष/प्राचार्य जिनमें से दो संबद्ध महाविद्यालयों से और दो संबद्ध विद्यालयों से होंगे जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे;
- (नौ) विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों से दो आचार्य, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे;
- (दस) विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों से दो सह-आचार्य/उपाचार्य, जिनमें से एक महिला अध्यापक होगी और जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(२) विद्या परिषद् के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी :

परंतु स्थगित सम्मिलन के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी.

(३) विद्या परिषद् को किसी ऐसे विशिष्ट कामकाज की, जो कि परिषद् के समक्ष विचारार्थ आए, विषयवस्तु का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करने की शक्ति होगी. इस प्रकार सहयोजित किए गए सदस्यों को, ऐसे कामकाज के, जिसके कि संबंध में वे सहयोजित किए गए हैं, संपादन के बारे में परिषद् के सदस्यों के समस्त अधिकार होंगे.

(४) विद्या परिषद् के समस्त सदस्य, जो पदेन सदस्यों से तथा उपधारा (३) में निर्दिष्ट किए गए सदस्यों से भिन्न हों, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे.

(५) कुलसचिव, कुलपति के परामर्श से विद्यापरिषद् की बैठक बुलाएगा.

विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कर्तव्य.

२८. (१) विद्या परिषद् को, इस अधिनियम, परिनियमों, तथा अध्यादेशों द्वारा उसमें निहित की गई समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होंगी तथा वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेंगी, अर्थात् :-

- (एक) विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखना तथा शिक्षण के तरीकों के संबंध में, ऐसे महाविद्यालयों में, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो, या जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हों, सहकारी अध्यापन के संबंध में, गवेषणा के मूल्यांकन के संबंध में या विद्या संबंधी स्तर विषयक सुधारों के संबंध में निदेश देना;
- (दो) या तो स्वप्रेरणा पर या संकाय या कार्य परिषद् द्वारा किए गए निदेश पर विद्या संबंधी सामान्य हित के विषयों के संबंध में विचार करना और उन पर समुचित कार्यवाही करना;
- (तीन) (क) अध्ययन बोर्ड को विभाग आवंटित करने के लिए प्रस्ताव करना;
(ख) अधिसदस्यों (फैलो) को तथा उसके अपने सदस्यों को संकाय के लिए नियत करना;
- (चार) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करने के लिए प्रस्ताव करना और उनके प्रदान किए जाने के लिए नियम बनाना;
- (पांच) किसी शिक्षण संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जाने संबंधी आवेदन पर विचार करना :

परन्तु किसी ऐसे आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि संस्था को यथास्थिति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, सह-चिकित्सा परिषद् अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया गया है;

- (छह) व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में मान्यता देने के लिए अर्हताएं विहित करना तथा ऐसी मान्यता प्रदान करना;
- (सात) परीक्षाओं के संचालन के लिए इंतजाम करना तथा परीक्षाफल तैयार करने के लिए परीक्षाफल समितियों की या अन्य व्यक्तियों या दोनों की जैसा कि वह उचित समझे, नियुक्ति करना और ऐसे परीक्षाफल प्रकाशित किए जाने के लिए कार्य परिषद् को रिपोर्ट करना;
- (आठ) किसी विषय में प्रख्यात व्यक्तियों को इस प्रयोजन से मान्यता देना कि वे उस विषय में गवेषणा के संबंध में मार्गदर्शन करें.

(२) विद्या परिषद् एक स्थायी समिति की नियुक्ति कर सकेगी जिसमें कि उसके (विद्या परिषद् के) सदस्य होंगे, उक्त स्थायी समिति के गठन, शक्तियों तथा कृत्यों का अवधारण परिनियमों द्वारा किया जाएगा.

संकाय.

२९. (१) विश्वविद्यालय में परिनियमों द्वारा विहित किए गए अनुसार एक या अधिक संकाय होंगे.

(२) प्रत्येक संकाय में एक संकायाध्यक्ष तथा ऐसे अन्य सदस्य होंगे और उसे ऐसी शक्तियां होंगी तथा वह ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(३) प्रत्येक संकाय में ऐसे विभाग होंगे जो कि उसे अध्यादेशों द्वारा सौंपे जाएं.

(४) संकायाध्यक्ष, कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केन्द्रों या महाविद्यालय के उन आचार्यों में से, जो उक्त विषय के अध्यापक हैं, दो वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु यदि विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केन्द्रों में ऐसा आचार्य नहीं है जो उक्त विषय का अध्यापन कार्य कर रहा है तो संकायाध्यक्ष, संबद्ध महाविद्यालयों के उन आचार्यों में से, जो उक्त विषयों के अध्यापक हैं, नियुक्त किया जाएगा.

(५) संकायाध्यक्ष संकाय का अध्यक्ष होगा और वह संकाय से संबंधित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक् अनुपालन के लिए अध्यापन एवं गवेषणा के संचालन तथा उनके स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा.

(६) संकायाध्यक्ष को संकाय के किसी भी अध्ययन बोर्ड के किसी भी सम्मिलन में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा किन्तु उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा.

३०. (१) उपाधि और उपाधिपत्र पाठ्यक्रमों के लिए, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, प्रत्येक विषय या विषयों के समूह हेतु एक अध्ययन बोर्ड होगा. अध्ययन बोर्ड.

(२) प्रत्येक बोर्ड में ऐसे व्यक्ति होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

३१. अध्ययन बोर्ड को ऐसी शक्तियां होंगी तथा वह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए. अध्ययन बोर्ड की शक्तियां तथा उसके कृत्य.

३२. (१) विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड.

(एक)	कुलपति	अध्यक्ष (चेयरमेन)
(दो)	कुलाधिसचिव	सदस्य;
(तीन)	संकायों के संकायाध्यक्ष	सदस्य;
(चार)	विश्वविद्यालयीन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के तीन अध्यक्ष, जो कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए गए हों	सदस्य;
(पांच)	तीन महाविद्यालयीन आचार्य जो कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए गए हों	सदस्य;
(छह)	ख्यातिप्राप्त तीन विद्वान जो विश्वविद्यालय से संसक्त न हों	सदस्य;
(सात)	तीन विभागाध्यक्ष जो कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे	सदस्य;

(२) बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(३) विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड की अवधि तीन वर्ष होगी.

(४) विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां होंगी तथा वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय की अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक योजना तैयार करना;

- (दो) संकायों द्वारा प्रस्तावित की गई गवेषणा संबंधी परियोजनाओं तथा विद्या संबंधी कार्यक्रमों पर विचार करना तथा अपनी सिफारिशों के साथ उन्हें कार्य परिषद् को अग्रोषित करना तथा अन्तर्संकाय आधार पर परियोजनाएं आरंभ करने के लिए अन्तर्संकाय समन्वय स्थापित करना;
- (तीन) संकायों को विद्या संबंधी नए कार्यक्रमों का सुझाव देना और विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों और विद्यालयों और संस्थाओं का समय-समय पर विद्या संबंधी मूल्यांकन करना;
- (चार) विभागों, गवेषणा तथा विशेषित अध्ययन संस्थाओं, प्रयोगशालाओं तथा संग्रहालयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव करना;
- (पांच) अध्यापन पदों को संस्थित करने तथा ऐसे पदों के कर्तव्य विहित करने के लिए प्रस्ताव करना;
- (छह) विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के कार्यकरण का समय-समय पर मूल्यांकन करना;
- (सात) योजना की प्रगति का नियतकालिक रूप से मूल्यांकन करना.

अन्य बोर्ड.

३३. (१) विश्वविद्यालय में ऐसे अन्य बोर्ड होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.
- (२) उपधारा (१) के अधीन गठित किए गए बोर्ड का गठन, अवधि, शक्तियां तथा कर्तव्य वही होंगे जो कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

अध्याय पांच

वित्त

विश्वविद्यालय निधि.

३४. (१) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जो विश्वविद्यालय निधि कहलाएगी.
- (२) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगे या उसमें संदत्त किए जाएंगे—
- (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई भाटक, अभिदाय या अनुदान;
- (ख) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेण्ट्स) तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हों;
- (ग) समस्त स्रोतों से हुई विश्वविद्यालय की आय जिसके अंतर्गत फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय आती है;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई समस्त अन्य राशियां.

(३) विश्वविद्यालय निधि कार्य परिषद् के विवेकानुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का सं. २) में यथापरिभाषित किसी भी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी या भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का सं. १) द्वारा प्राधिकृत की गई प्रतिभूतियों में विनिहित की जाएगी.

(४) इस धारा में की कोई भी बात, किसी न्यास के प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए न्यास की किसी भी घोषणा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिगृहित की गई या उस पर अधिरोषित की गई किन्हीं भी बाध्यताओं पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगी.

३५. (१) विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एवं निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा :—

उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सकेगा.

- (क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए ऋणों में प्रतिसंदाय के लिए;
- (ख) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए गए महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों के अनुरक्षण के लिए तथा निवास स्थान तथा छात्रावासों के अनुरक्षण के लिए;
- (ग) विश्वविद्यालय निधि की संपरीक्षा के खर्च के संदाय के लिए;
- (घ) किन्हीं भी ऐसे वाद या ऐसी कार्यवाहियों के, जिनमें कि विश्वविद्यालय एक पक्षकार है, व्ययों के लिए;
- (ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के संदाय के लिए और इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए तथा उन प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालयों में नियोजित किए गए अध्यापकवृन्द तथा स्थापना के सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों के संदाय के लिए, और किन्हीं भी ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों, अध्यापकवृन्द के सदस्यों को या ऐसी स्थापना के सदस्यों को किसी भविष्य निधि के अभिदायों, उपदान तथा अन्य फायदों के संदाय के लिए;
- (च) कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और विश्वविद्यालयों के किन्हीं अन्य प्राधिकारियों के सदस्यों या इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के किसी भी उपबंध के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति या बोर्ड के सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों के संदाय के लिए;
- (छ) विद्यार्थियों को अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;
- (ज) इस अधिनियम तथा उसके अधीन, बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए किन्हीं भी व्ययों के संदाय के लिए;
- (झ) पूर्ववर्ती खण्डों में से किसी भी खण्ड में विनिर्दिष्ट न किए गए किन्हीं ऐसे अन्य व्ययों के, जो कि कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये व्यय घोषित किए गए हों, संदाय के लिए.

(२) कार्य परिषद् द्वारा वर्ष के कुल आवर्ती व्यय तथा कुल अनावर्ती व्यय के लिए नियत की गई सीमाओं से अधिक कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा, कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जाएगा.

(३) उस व्यय से, जिसके कि संबंध में बजट में उपबंध किया गया है, भिन्न कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा, कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगा.

अध्याय-छह

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

३६. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

- (क) ऐसे निकायों का गठन, शक्तियां तथा कर्तव्य, जिन्हें समय-समय पर गठित करना आवश्यक समझा जाए;

परिनियम.

- (ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किए गए निकायों के सदस्यों के निर्वाचन या नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना तथा सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना सम्मिलित है और उन निकायों से संबंधित अन्य समस्त विषय जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय है;
- (ग) कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य;
- (घ) कुलाधिसचिव की पदावधि, शक्तियां तथा कर्तव्य;
- (ङ) कुल सचिव, संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष तथा परीक्षा नियंत्रक की शक्तियां तथा कर्तव्य और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य और उनकी सेवा की शर्तें;
- (च) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के फायदे के लिये पेंशन या भविष्य निधि का गठन और बीमा स्कीम का स्थापन तथा उपदान एवं अन्य फायदों का उपबंध;
- (छ) उपाधियां प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह किया जाना;
- (ज) सम्मानित उपाधियों का प्रदान किया जाना;
- (झ) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या-संबंधी अन्य विशिष्टताओं का प्रत्याहरण;
- (ञ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संकायों, छात्रावासों, अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों तथा महाविद्यालयों और विद्यालयों और संस्थाओं का स्थापन तथा उनकी समाप्ति;
- (ट) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों, विद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों का प्रत्याहरण;
- (ठ) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों या महाविद्यालयों या विद्यालयों और संस्थाओं को प्राप्त हो सकने वाली स्वायत्तता की सीमा और वे विषय जिनके कि संबंध में ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग किया जा सकेगा;
- (ड) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के आचार्यों, सह-आचार्यों, उपाचार्यों, सहायक आचार्यों, प्राध्यापकों तथा अन्य अध्यापकों की अर्हताएं;
- (ढ) विन्यासों (एण्डाउमेण्ट्स) का प्रबंध और अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों (एक्जीविशन्स), वजीफों (बर्सरीज), पदकों, पारितोषिकों, तथा अन्य पुरस्कारों का संस्थित किया जाना;
- (ण) अधिकारियों की उपलब्धियों तथा उनकी सेवा के निबंधन एवं शर्तें और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, वेतनमान से भिन्न उपलब्धियां तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तें;
- (त) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए संकायाध्यक्ष, प्राचार्य, अध्यापक तथा कर्मचारियों की ज्येष्ठता अवधारित करने का ढंग;

- (थ) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का बनाए रखा जाना;
- (द) प्रकाशन ब्यूरो का स्थापन तथा गठन; और
- (ध) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं.

३७. (१) धारा ३६ में दिए गए विषयों के संबंध में प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और उसकी एक प्रति विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी.

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

(२) कार्य-परिषद्, इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित की गई रीति में, समय-समय पर, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी और परिनियमों में संशोधन कर सकेगी या उन्हें निरस्त कर सकेगी.

(३) विद्या परिषद् कार्य परिषद् द्वारा पारित किए जाने के लिए किसी नये परिनियमों का या किन्हीं विद्यमान परिनियमों में संशोधन का प्रारूप कार्य परिषद् को प्रस्तावित कर सकेगी :

परंतु विद्या परिषद् किन्हीं ऐसे परिनियमों के या किसी परिनियम में किसी ऐसे संशोधन के, जो विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव डालता हो, प्रारूप का प्रस्ताव तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्रस्ताव पर अपनी राय प्रकट करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो और इस प्रकार प्रकट की गई किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा.

(४) कार्य-परिषद्, किसी ऐसे प्रारूप को, जो उपधारा (३) में निर्दिष्ट किया गया है, अनुमोदित कर सकेगी तथा परिनियम को पारित कर सकेगी या उसे अस्वीकार कर सकेगी या ऐसे प्रारूप को किसी ऐसे संशोधन के साथ, जिसका कि वह सुझाव दे, पूर्णतः या अंशतः पुनर्विचार करने के लिए विद्या परिषद् को वापस कर सकेगी.

(५) कार्यपरिषद् का कोई भी सदस्य किसी नये परिनियम के या विद्यमान परिनियम में संशोधन के प्रारूप का प्रस्ताव कार्य परिषद् को कर सकेगा और कार्य परिषद् उस प्रस्ताव को, या तो स्वीकार कर सकेगी या यदि वह विद्या परिषद् के कार्यक्षेत्र के भीतर न आने वाले किसी विषय से संबंधित है, तो उसे अस्वीकार कर सकेगी. उस दशा में, जबकि ऐसा प्रारूप विद्या परिषद् के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाले विषय से संबंधित है, तो कार्य परिषद् उसे विचारार्थ विद्या परिषद् को निर्दिष्ट करेगी जो कार्य परिषद् को या तो यह रिपोर्ट दे सकेगी कि वह प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करती है और तब उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे कार्य परिषद् ने अस्वीकार कर दिया है या कार्य परिषद् को ऐसे प्रारूप में, जैसा कि विद्या परिषद् अनुमोदित करे, एक प्रारूप प्रस्तुत करेगी और इस प्रकार प्रस्तुत किए गए प्रारूप की दशा में इस धारा के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे विद्या परिषद् द्वारा कार्य परिषद् को प्रस्तावित किए गए प्रारूप की दशा में लागू होते हैं.

(६) किसी नये परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या परिनियम में किसी संशोधन या उसके निरसन के लिये कुलाधिपति का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उसे मंजूर कर सकेगा, नामंजूर कर सकेगा या उसे और आगे विचार किए जाने के लिए वापिस भेज सकेगा.

३८. (१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे:—

अध्यादेश.

- (एक) महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों तथा प्रयोग शालाओं में विद्यार्थियों का प्रवेश और फीस का उद्ग्रहण तथा उनका नामांकन;
- (दो) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां, उपाधिपत्र, प्रमाण-पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं और उनके लिए अर्हताएं;

- (तीन) विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधिपत्रों, तथा प्रमाण-पत्रों तक पहुंचाने वाली परीक्षा;
- (चार) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों हेतु प्रभारित की जाने वाली और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा उपाधिपत्रों के लिए प्रवेश देने हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस;
- (पांच) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं से संबंधित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए शर्तों का अधिकथित किया जाना;
- (छह) परीक्षाओं का संचालन;
- (सात) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों (एक्जीबिशन), पदकों तथा पारितोषकों आदि के प्रदान किए जाने की शर्तें;
- (आठ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना;
- (नौ) अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें और छात्रावासों में निवास के लिये फीस का उद्ग्रहण;
- (दस) छात्रावासों की मान्यता तथा उनका निरीक्षण;
- (ग्यारह) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में किए जा सकने वाले विशेष इंतजाम, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रमों का विहित किया जाना;
- (बारह) नैतिकता संबंधी शिक्षण का दिया जाना;
- (तेरह) विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठापित या संधारित महाविद्यालयों, विद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का प्रबंध;
- (चौदह) महाविद्यालयों, विद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का, जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हों, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण;
- (पन्द्रह) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, कर्तव्य, अर्हताएं तथा नियुक्ति की शर्तें, जिनके अन्तर्गत उनका वेतनमान सम्मिलित है;
- (सोलह) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय के साथ संयुक्त रूप से नियुक्त किए जाने वाले बोर्ड एवं समितियों के कर्तव्य तथा शक्तियां;
- (सत्रह) विद्यार्थियों के स्थानांतरण के संबंध में संबद्ध महाविद्यालयों, विद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले तथा प्रवृत्त किए जाने वाले नियम;
- (अट्ठारह) संबद्ध महाविद्यालयों, विद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा रखा जाने वाला विद्यार्थियों का रजिस्टर;
- (उन्नीस) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से की गई संविदाओं या करारों के निष्पादन का ढंग;
- (बीस) वे दरें, जिन पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, समितियों तथा अन्य निकायों के सदस्यों के लिए और विश्वविद्यालय के परीक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारीवृन्द के लिए यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता अनुज्ञेय होगा;

(इक्कीस) विद्यार्थी संघ का गठन तथा उसके निर्वाचन की रीति; और

(बाईस) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार, अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या उपबंधित किए जाएं;

परन्तु मद (पंद्रह) के अधीन का अध्यादेश धारा ४९ के उपबंधों के अधीन होगा.

३९. (१) समस्त अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे.

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.

(२) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया अध्यादेश उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि वह कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित किया जाए.

४०. (१) धारा ३८ की उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

अध्यादेशों के संबंध में प्रक्रिया.

(क) कोई अध्यादेश, जो विद्यार्थियों के प्रवेश पर प्रभाव डालता हो या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्य की जाने वाली परीक्षाओं को या विश्वविद्यालय के उपाधि या उपाधि पत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए धारा ४२ की उपधारा (१) में वर्णित की गई और अर्हताओं को विहित करता हो, कार्य परिषद् द्वारा तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि उसके प्रारूप का प्रस्ताव विद्या परिषद् द्वारा नहीं किया गया हो, या

(ख) कोई अध्यादेश, जो परीक्षकों की शर्तों तथा उनके कर्तव्यों पर और परीक्षाओं के संचालन या उनके स्तर पर प्रभाव डालता हो, कार्य परिषद् द्वारा तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि वह संबंधित संकाय या संकायों के प्रस्ताव के अनुसार नहीं हो और ऐसे अध्यादेश के प्रारूप का प्रस्ताव विद्या परिषद् द्वारा नहीं किया गया हो; या

(ग) कोई अध्यादेश, जो विश्वविद्यालय के अध्यापकों की, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, अर्हताओं तथा उपलब्धियों पर प्रभाव डालता हो, कार्य परिषद् द्वारा तब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक कि उसके प्रारूप का प्रस्ताव विद्या परिषद् द्वारा नहीं किया गया हो.

(२) कार्य परिषद् को यह शक्तियां नहीं होंगी कि वह ऐसे प्रारूप को जिसका कि प्रस्ताव उपधारा (१) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा किया गया हो, संशोधित करे किन्तु वह उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकेगी या प्रारूप को किसी ऐसे संशोधन के साथ जिसका कि कार्य परिषद् सुझाव दे, पूर्णतः या अंशतः पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद् को वापस कर सकेगी.

(३) उपधारा (२) के अधीन किसी प्रारूप के वापिस किये जाने के पश्चात् तथा कार्य परिषद् द्वारा सुझाए गए किसी संशोधन पर विद्या परिषद् द्वारा और विचार किया जा चुकने के पश्चात् वह प्रारूप विद्या परिषद् की तत्संबंधी रिपोर्ट के साथ कार्य परिषद् के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाएगा और तब कार्य परिषद् ऐसी रीति में, जैसी कि वह उचित समझे, उस प्रारूप के संबंध में कार्यवाही कर सकेगी.

(४) जहां कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किए गये किसी अध्यादेश का प्रारूप अस्वीकार कर दिया है, वहां विद्या परिषद् कुलाधिपति को अपील कर सकेगी और कुलाधिपति यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावशील होगा, जो कि उस निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए.

विनियम.

४१. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, समितियां तथा अन्य निकाय, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित किए गए हों, इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विनियम बना सकेंगे जिनमें,—

(क) अपने सम्मेलन में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया को तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या को अधिकथित किया जा सकेगा;

परन्तु जब तक गणपूर्ति के लिये उपबंध करने वाले विनियम नहीं बनाए जाते, तब तक विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय का सम्मेलन करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति की संख्या वह संख्या होगी जिससे कि उन सदस्यों का बहुमत बनता हो जिनसे कि विश्वविद्यालय का ऐसा प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय तत्समय गठित होता हो;

(ख) ऐसे समस्त विषयों के लिये उपबंध हो सकेंगे जिनको कि इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसार, विनियमों द्वारा विहित किया जाना है; और

(ग) ऐसे समस्त अन्य विषयों के लिये उपबंध हो सकेंगे जो केवल ऐसे प्राधिकारियों या अन्य निकायों से या समितियों से संबंधित हों जो उनके द्वारा नियुक्त की गई हो और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है।

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, समिति तथा निकाय ऐसे विनियम बनाएगा जिनमें ऐसे प्राधिकारी, समिति या निकाय के सदस्यों को सम्मेलन की तारीख की तथा कामकाज की, जिस पर उन सम्मेलनों में विचार किया जाना हो, सूचना दिए जाने एवं सम्मेलन के कार्यवृत्त रखे जाने के लिए उपबंध हो।

(३) कार्य परिषद् सभा से भिन्न किसी प्राधिकारी, समिति या निकाय द्वारा इस धारा के अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों को उपांतरित या बातिल कर सकेगी;

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी, समिति या निकाय जिसका ऐसे उपांतरण या बातिलीकरण से समाधान न हो, कुलाधिपति को अपील कर सकेगा जिसका इस मामले में विनिश्चय अंतिम होगा।

अध्याय-सात**नामांकन तथा उपाधियां आदि****विश्वविद्यालय
पाठ्यक्रमों में
प्रवेश.**

४२. (१) विद्यार्थी, उपाधि या उपाधि पत्र संबंधी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक कि उन्होंने मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, १९६५ (क्रमांक २३ सन् १९६५) के अधीन ली गई अंतिम परीक्षा या कोई ऐसी परीक्षा, जो इस धारा के उपबंधों के अनुसार उसके समतुल्य मान्य की गई है, उत्तीर्ण नहीं कर ली है तथा जब तक कि वे ऐसी और अर्हताएं न रखते हों, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

(२) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, उपाधि संबंधी पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनार्थ किसी भी उपाधि को, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा प्रदान की गई हो, अपनी उपाधियों के समतुल्य होना या किसी अन्य परीक्षा को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, १९६५ (क्रमांक २३ सन् १९६५) के अधीन ली गई अंतिम परीक्षा के समतुल्य होना मान्य कर सकेगा।

(३) किसी भी विद्यार्थी को, उपाधि तक पहुंचाने वाले पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह किसी महाविद्यालय, विद्यालय, संस्थाओं, अध्यापन विभाग या अध्ययन केन्द्र में विद्यार्थी के रूप में नामांकित नहीं हो जाता है।

४३. (१) परिनियमों के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए समस्त परीक्षक तथा परीक्षा के प्रश्नों के अनुसीमक (माडरेटर्स) कुलपति द्वारा उस समिति के परामर्श से नियुक्त किए जाएंगे जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

परीक्षकों तथा अनुसीमकों (माडरेटर्स) की नियुक्ति.

- (एक) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष जो उस समिति का अध्यक्ष होगा;
- (दो) संबंधित अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष;
- (तीन) संबंधित अध्ययन बोर्ड का एक सदस्य जो उस प्रयोजन के लिए कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.

(२) यदि परीक्षा के दौरान कोई परीक्षक किसी कारण से उस रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तो कुलपति उस रिक्ति को भरने के लिए परीक्षक की नियुक्ति करेगा.

४४. (१) प्रत्येक महाविद्यालय या विद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां तथा अन्य जानकारी देगा जैसा कि कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की राय अभिप्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय या विद्यालय की दक्षता का निर्णय कर सकने के लिए अपेक्षित करे.

महाविद्यालयों तथा विद्यालयों का निरीक्षण एवं रिपोर्ट.

(२) कार्य परिषद्, समय-समय पर, एक या एक से अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा जो कि कार्य परिषद् द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए जाएं, ऐसे महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था का निरीक्षण करावाएगी.

(३) कार्य परिषद् ऐसे किसी महाविद्यालय या संस्था से, जिसका इस प्रकार निरीक्षण किया गया है, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी कार्यवाही करने के लिए अपेक्षा कर सकेगी जैसा कि उसे आवश्यक प्रतीत हो.

४५. विश्वविद्यालय के केवल स्नातक या उपाधि पत्र धारक ही, ऐसी फीस का, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए संदाय करने पर रजिस्ट्रीकृत स्नातकों और उपाधि पत्र धारकों के रजिस्टर में जो कि ऐसे प्ररूप में रखा जाएगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, अपने नाम नामांकित कराने के हकदार होंगे.

रजिस्ट्रीकृत स्नातक और उपाधि पत्र धारक.

अध्याय-आठ संपरीक्षा

४६. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी तथा जो ऐसी तारीख को या उससे पूर्व सभा में प्रस्तुत की जाएगी जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए और उस पर सभा द्वारा अपनी वार्षिक बैठक में विचार किया जाएगा. सभा उस पर संकल्प पारित कर सकेगी और उसे कार्य परिषद् को संसूचित कर सकेगी. उसके पश्चात् विश्वविद्यालय, उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार यथाशक्यशीघ्र उसे विधान सभा के पटल पर रखवाएगी.

वार्षिक रिपोर्ट.

४७. (१) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा, राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो पंद्रह मास से अधिक न हो.

लेखाओं की संपरीक्षा.

(२) संपरीक्षित लेखाओं की प्रति और उसके साथ संपरीक्षा रिपोर्ट कार्य परिषद् द्वारा सभा और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी. राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र, उसे विधान सभा के पटल पर रखवाएगी.

अध्याय-नौ विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों पर नियुक्ति

४८. (१) कोई भी व्यक्ति—

अध्यापन पदों पर नियुक्ति.

- (एक) आचार्य, सह-आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य या प्राध्यापक के रूप में; या

- (दो) विश्वविद्यालय किसी अन्य अध्यापन पद पर जिसका कि वेतन विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, उपधारा (२) के अनुसार गठित की गई प्रवरण समिति की सिफारिशों पर ही नियुक्त किया जाएगा अन्यथा नहीं:

परन्तु यदि पूर्वोक्त अध्यापन पदों में से किसी भी पद पर की गई नियुक्ति के, छह मास से अधिक समय तक चालू रहने की प्रत्याशा नहीं है और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित विभाग या संस्था के हित के अपाय के बिना उसमें बिलंब नहीं किया जा सकता है, तो कार्य परिषद् उपधारा (२) के अधीन गठित की गई प्रवरण समिति की सिफारिश अभिप्राप्त किए बिना ही ऐसी नियुक्ति कर सकेगी किन्तु इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति को, प्रवरण समिति की सिफारिश पर के सिवाय उसी पद पर छह मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं रखा जाएगा या विश्वविद्यालय की सेवा में से किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा.

(२) प्रवरण समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

- (एक) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा;
- (दो) एक विशेषज्ञ जो विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसे विषय के तीन विशेषज्ञों की तालिका (पैनल) में से, जो विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार से संसक्त न हो, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;
- (तीन) विषय के तीन विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार से संसक्त न हों, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाएंगे:

परन्तु तीन विशेषज्ञों में से कम से कम एक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से नामनिर्देशित किया जाएगा तथा इन प्रवर्गों से ऐसे विशेषज्ञ की अनुपलब्धता की दशा में, संभागीय आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक प्रशासकीय अधिकारी, जो इन प्रवर्गों से संबंधित हों, नामनिर्देशित किया जाएगा;

- (चार) सचिव, यथास्थिति, चिकित्सा शिक्षा विभाग या आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन, या उसका नामनिर्देशिती.

(३) प्रवरण समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(४) समिति, विभिन्न अभ्यर्थियों के गुणागुण का अनुवेषण करेगी और कार्य परिषद् को उन व्यक्तियों के, जिन्हें कि वह पदों के लिये उपयुक्त समझती है, नामों की, यदि कोई हो, उन्हें गुणानुक्रम में क्रमांकित कर सिफारिश करेगी:

परन्तु कोई भी सिफारिश तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि उस सम्मिलन में जिसमें कि ऐसी सिफारिश के बारे में विनिश्चय किया जाना है. उपधारा (२) के खण्ड (तीन) के अधीन नामनिर्देशित किए गए कम से कम दो विशेषज्ञ उपस्थित न हों.

(५) कार्य परिषद् उन व्यक्तियों में से, जिनकी कि उपधारा (४) के अधीन इस प्रकार सिफारिश की गई है, गुणानुक्रम के अनुसार नियुक्त करेगी.

अध्याय-दस
आपात उपबंध

५०. (१) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कुशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी परिस्थिति उद्भूत हो गई है कि जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गई है, तो वह अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन होगी।

राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना प्रथमतः ऐसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है, एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, वैसी ही अधिसूचना द्वारा, प्रवर्तन की कालावधि को ऐसी और कालावधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, बढ़ा सकेगी, परन्तु ऐसे प्रवर्तन की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(३) उपधारा (१) अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार के कार्यपालिक प्राधिकार का विस्तार इस प्रकार बढ़ जाएगा कि वह विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धांतों का, जो कि निदेश में विनिर्दिष्ट है, अनुपालन करे और ऐसे अन्य निदेश दे सकेगी जिन्हें कि राज्य सरकार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त समझे।

(४) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निदेश के अन्तर्गत कोई ऐसा उपबंध हो सकेगा:—

- (एक) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि बजट मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;
- (दो) जिसमें विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की गई हो कि वह प्रत्येक ऐसा प्रस्ताव, जिसमें वित्तीय विवक्षाएं अंतर्वर्तित हैं, मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;
- (तीन) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किए गए अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों के वेतनमान के तथा भत्तों की दरों के पुनरीक्षण संबंधी प्रत्येक प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;
- (चार) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए समस्त व्यक्तियों के या उनके किसी वर्ग के वेतनों तथा भत्तों में कमी की जाए;
- (पांच) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किए गए अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या में कमी की जाए;
- (छह) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि वेतनमानों को तथा भत्तों की दरों को कम किया जाए; और
- (सात) जो ऐसे अन्य विषयों के संबंध में हो जिनका कि यह प्रभाव हो सकता हो कि विश्वविद्यालय का वित्तीय दबाव कम हो जाए।

(५) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी के लिए और विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के लिए यह आबद्धकारी होगा कि वह इस धारा के अधीन किए गए निदेश को कार्यान्वित करे।

(६) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी इस धारा के अधीन दिए गए निदेश के अपालन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की किसी निधि या संपत्ति के दुरुपयोजन के लिए, जिसका कि वह एक पक्षकार रहा हो या जो ऐसे अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण घटित हुआ हो या सुकर हो गया हो, वैयक्तिक रूप में दायी होगा और इस प्रकार उपगत हुई हानि, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर, ऐसे अधिकारी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी:

परन्तु हानि की रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाने की कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और ऐसे स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार न कर लिया गया हो।

कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियम को उपांतरित रूप में लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति।

५१. (१) यदि राज्य सरकार को किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किए बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, और यह कि वैसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा उसमें (अधिसूचना में) वर्णित किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि धारा १२, १३, २१ से २५, २७ तथा ४१ के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधधीन रहते हुए विश्वविद्यालय को, लागू होंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है) नियत तारीख से १२ मास की कालावधि तक के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसी और वृद्धि जैसी वह उचित समझे, इस प्रकार कर सकेगी कि जिससे अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि एक वर्ष से अधिक न हो जाए।

(३) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:—

- (एक) इस अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान यह अधिनियम, अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधधीन रहते हुए प्रभावी होगा;
- (दो) कुलपति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद धारण किए हुए हो, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, अपने पद को रिक्त कर देगा;
- (तीन) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति, सभा, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किए हुए हो, उस पद पर नहीं रह जाएगा;
- (चार) जब तक यथास्थिति सभा, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का यथा उपांतरित उपबंधों के अनुसार पुनर्गठन न हो जाए तब तक कुलपति, जो यथाउपांतरित धारा १२ तथा १३ के अधीन नियुक्त किया गया हो, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि सभा, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किए गए हों:

परन्तु कुलपति, यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किए गए कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए एक समिति की नियुक्ति कर सकेगा जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे।

(४) कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी किए जाने के साथ-साथ कुलपति को यथा उपांतरित धारा १२ तथा १३ के अधीन नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया कुलपति अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान पद पर बना रहेगा:

परन्तु कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किए रह सकेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(५) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्यशीघ्र, कुलपति, अधिनियम के यथा उपांतरित उपबंधों के अनुसार सभा, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिए कार्यवाही करेगा और इस प्रकार गठित की गई सभा, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को, जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाए, इन दोनों में से जो भी पश्चातवर्ती हो, कार्य करना प्रारंभ कर देगी:

परन्तु यदि सभा, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाए तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अध्वधीन रहते हुए, उस समय तक करेगा जब तक कि यथास्थिति सभा, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाय.

५२. धारा ५१ के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर, इस अधिनियम के उपबंध जैसे कि वे अधिसूचना में वर्णित विश्वविद्यालय को लागू होने के संबंध में उपांतरित किए गए हैं, उसके संबंध में प्रवृत्त नहीं रहेंगे और उस अधिनियम के अन्य सुसंगत उपबंध पुनः प्रवर्तित हो जाएंगे तथा उसको लागू रहेंगे.

धारा ५१ के अधीन अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने का प्रभाव.

परन्तु अधिसूचना के प्रवर्तन के अवसान का—

- (क) यथा उपांतरित उपबंधों या उनके अधीन किए गए किसी आदेश के पूर्ववर्ती प्रवर्तन पर या उन उपबंधों या उस आदेश के अधीन की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या
- (ख) यथा उपांतरित उपबंधों या उनके अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या
- (ग) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में किसी अन्वेषण या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा अन्वेषण या उपचार इस प्रकार संस्थित या प्रवर्तित किया जा सकेगा मानो कि उपांतरित उपबंधों को लागू होना समाप्त नहीं हुआ हो.

अध्याय-ग्यारह

अनुपूरक उपबंध

५३. यदि इस अधिनियम या किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इस संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूपेण निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा:

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद.

परन्तु कोई ऐसा विनिश्चय करने के पूर्व, कुलाधिपति स्वयं या उसके द्वारा नाम-निर्देशित अधिकारी, ऐसे विनिश्चय के कारण प्रभावित व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा में अभिव्यक्ति:—

- (क) “निकाय” के अन्तर्गत इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन गठित की गई कोई समिति आती है;
- (ख) “नियुक्त किया गया” के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के वैतनिक पदों पर नियुक्तियां नहीं आती हैं।

समितियों का गठन.

५४. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई हो, वहां उन समितियों में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, होंगे जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.

५५. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां, सुविधानुसार यथाशक्यशीघ्रता से उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने कि उस सदस्य को जिसका कि स्थान रिक्त हुआ है, नाम-निर्देशित, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया हो और किसी आकस्मिक रिक्ति पर नाम-निर्देशित, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया गया व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी, समिति या निकाय का उस अवधि की शेष कालावधि के लिए सदस्य रहेगा जिसके लिए कि वह व्यक्ति, जिसके स्थान की उसने पूर्ति की है, सदस्य रहा होता।

विश्वविद्यालय तथा निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी.

५६. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि:—

- (क) उसमें कोई स्थान रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है;
- (ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या
- (ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

सेवा की शर्तें.

५७. (१) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा अध्यापक जिसे कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता है लिखित संविदा के अधीन, जो कि विश्वविद्यालय में रखी जाएगी, नियुक्त किया जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जाएगी।

(२) विश्वविद्यालय और उसके वैतनिक कर्मचारियों के बीच संविदा से या अन्य किसी प्रकार से प्रोदभूत होने वाला सेवा संबंधी मामले का कोई विवाद कुलपति द्वारा न्यायनिर्णीत किया जाएगा तथा कुलपति के विनिश्चय के विरुद्ध अपील कुलाधिपति को की जाएगी जो विवाद को स्वयं विनिश्चित करेगा या उसे ऐसे अधिकरण को निर्दिष्ट करेगा जो इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

- (एक) राज्य के विश्वविद्यालय में से किसी विश्वविद्यालय का कोई कुलपति;
- (दो) मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग या आयुष विभाग का भारसाधक सचिव;
- (तीन) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश या निदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी।

पेंशन तथा भविष्य निधि.

५८. विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिक वर्ग के कर्मचारीवृन्द तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा तथा भविष्य निधि का गठन करेगा तथा ऐसे अन्य फायदे संस्थित करेगा जिन्हें कि वह उचित समझे।

५९. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अध्यापक या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिये जो कि उसके द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका इस प्रकार सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

६०. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय में—

शिक्षण देने के लिए अनुमोदन.

(क) तब तक शिक्षण नहीं देगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति विद्या परिषद् द्वारा उस संबंध में निर्धारित की गई अर्हताएं न रखता हो; और

(ख) ऐसे विषय या विषयों में तथा उसी स्तर तक, जिसके लिए विद्या परिषद् ने उसकी अर्हताएं अनुमोदित की हों, शिक्षण देगा, इसके सिवाय नहीं.

६१. (१) महाविद्यालय, विद्यालय और संस्थाओं में आचार्यों, सह-आचार्यों, उपाचार्यों, सहायक आचार्यों, प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों जो यथास्थिति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारतीय केन्द्रीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् या सह-चिकित्सा परिषद् द्वारा अधिकथित की गई विद्या संबंधी तथा अन्य अर्हताएं और अनुभव संबंधी शर्तें पूरी करते हैं तथा संबंधित परिषद् द्वारा अनुमोदित या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं, विश्वविद्यालय द्वारा क्रमशः आचार्यों, सह-आचार्यों, उपाचार्यों, सहायक आचार्यों, प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों के रूप में मान्यता दी जाएगी. संकायाध्यक्ष/ महाविद्यालयों के प्राचार्य जो संबंधित विषयों में स्नातक/ स्नातकोत्तर उपाधि स्तर का न्यूनतम १५ वर्ष का अध्यापन अनुभव रखते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संकायाध्यक्ष/ प्राचार्य का वेतन आहरित कर रहे हैं, विश्वविद्यालय द्वारा आचार्य के रूप में मान्यता दी जाएगी.

अध्यापकों का वर्गीकरण.

(२) “अतिथि आचार्य” (विजिटिंग प्रोफेसर) से अभिप्रेत है ऐसा आचार्य, जो कार्य परिषद् द्वारा ऐसी अल्प अवधि के लिए, जो ६ मास से अधिक नहीं होगी, जैसी कि संविदा में नियत की जाए, आमंत्रित किया गया हो.

(३) ऐसे अध्यापक को, जो किसी संस्था में अंशकालीन आधार पर नियुक्त किया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी.

६२. (१) जब कभी इस अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से कोई पद धारण करना हो या किसी प्राधिकारी का सदस्य होना हो, तो ऐसी ज्येष्ठता इस अधिनियम में कोई प्रतिकूल उपबंध न होने पर, परिनियमों के अनुसार अवधारित की जाएगी:

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्यों की पदावधि.

परन्तु जब तक कि ऐसे परिनियम न बनाए जाएं किसी विशिष्ट संवर्ग में ज्येष्ठता ऐसे संवर्ग में की गई निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर अवधारित की जाएगी और जहां दो या अधिक व्यक्तियों की उसी संवर्ग में की गई सेवा की अवधि एक सी हो वहां “ज्येष्ठता” आयु में ज्येष्ठता के आधार पर अवधारित की जाएगी.

(२) जब कभी कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित ओहदे या पद के आधार पर या कोई विनिर्दिष्ट अर्हता रखने के आधार पर किसी प्राधिकारी का सदस्य बन जाता है, तो वह उस दशा में, जबकि वह अपनी सदस्यता की अवधि का अवसान होने के पूर्व ऐसे ओहदे या पद पर न रहे या उस दशा में जब कि उसकी सदस्यता की अवधि का अवसान होने के पूर्व उसमें ऐसी अर्हता न रह जाए, तत्काल ही ऐसे प्राधिकारी का सदस्य नहीं रहेगा:

परन्तु केवल इसी कारण से कि वह ऐसी कालावधि के लिए, जो चार मास से अधिक नहीं हो, छुट्टी पर चला गया है, उसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ओहदे या पद का धारणकर्ता नहीं रह गया है.

विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र.

६३. (१) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या किसी अन्य विश्वविद्यालयीन प्राधिकारी या समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई भी सदस्य, संकाय या संकायाध्यक्ष, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और त्याग-पत्र, कुल सचिव द्वारा पत्र प्राप्त किए जाने के समय ही प्रभावशील हो जाएगा.

(२) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष से भिन्न कोई भी अधिकारी, चाहे वह वैतनिक हो या अन्यथा हो, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, ऐसा त्याग-पत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि वह उस प्राधिकारी द्वारा प्रतिगृहीत कर लिया जाता है जो कि उस रिक्ति को भरने के लिए सक्षम हो.

प्राधिकारी का सदस्य होने के लिए निरहता.

६४. (१) कोई भी व्यक्ति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य होने के लिये निरहित होगा:—

- (क) यदि वह विकृत चित्त का है; या
- (ख) यदि वह अनुमोचित दिवालिया है; या
- (ग) यदि वह किसी विधि न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें कि नैतिक पतन अन्तर्वलित हो, और उसके संबंध में कारावास से, जो छह मास से कम का न हो, दण्डित किया जा चुका है.

(२) यदि ऐसा कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि को व्यक्ति उप-नियम (१) में उल्लिखित किसी निरहता के अधधीन है या रहा है तो ऐसा प्रश्न कुलाधिपति के विनिश्चय हेतु सौंपा जाएगा तथा उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाई नहीं होगी.

रजिस्ट्रीकृत स्नातकों तथा उपाधि पत्र धारकों के रजिस्टर में से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के किसी सदस्य को हटाने की शक्ति.

६५. (१) कुलाधिपति, कार्य परिषद् के निवेदन पर किसी भी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत स्नातकों और उपाधि पत्र धारकों के रजिस्टर में से हटा सकेगा और किसी भी व्यक्ति का नाम विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता पद से हटा सकेगा, यदि वह व्यक्ति—

- (एक) घोर कदाचार का दोषी है; और
- (दो) ऐसा कार्य करता है जो विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है:

परन्तु कुलाधिपति ऐसी दशा में प्रारंभिक जांच करवाएगा तथा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो वह यथास्थिति, ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातक या किसी प्राधिकारी या निकाय के सदस्य पर लिखित आरोप-पत्र की तामील करेगा, जिसमें यथास्थिति, कदाचार का या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य का कथन किया जाएगा.

(२) आरोप-पत्र के उत्तर पर, जो कि उसके पास यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत स्नातक या उपाधि पत्र धारक या विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या निकाय के सदस्य द्वारा उपधारा (१) के अधीन भेजा गया हो, विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति, यदि वह यह समझता है कि आगे की कार्यवाही आवश्यक है, जांच ऐसे अधिकरण को न्यस्त कर सकेगा जिसमें यथास्थिति, कुलाधिपति का नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति, कार्य परिषद् का एक नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति तथा अभियुक्त रजिस्ट्रीकृत स्नातक या सदस्य, का नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति होगा.

(३) अधिकरण, यथास्थिति, अभियुक्त रजिस्ट्रीकृत स्नातक या उपाधि पत्र धारक या सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसे साक्ष्य की, जो कि आवश्यक हो, परीक्षा करने के पश्चात् अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और उसे कुलाधिपति की ओर अग्रेषित करेगा;

(४) कुलाधिपति अधिकरण की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसे अंतिम आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे:

परन्तु कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि, यथास्थिति, अभियुक्त रजिस्ट्रीकृत स्नातक या उपाधि पत्र धारक या सदस्य को, यह कारण दर्शाने का कि उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई क्यों न की जाए, युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो.

(५) उपधारा (१) से (४) के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां कि कुलाधिपति का यह समाधान हो गया है कि ऐसी जांच करना तथा उसके नाम निर्देशित किसी सदस्य के ऐसे सदस्य के निकाले जाने के पूर्व कोई कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करना या सुने जाने का अवसर प्रदान करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है.

६६. यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के प्रथम गठन या पुनर्गठन के संबंध में या अन्यथा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, उस अवसर पर, जैसा अपेक्षित हो, आदेश द्वारा कोई भी ऐसा कार्य कर सकेगी जो कठिनाई का निराकरण करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हो.

कठिनाइयों का निराकरण.

अनुसूची

(धारा ५१ देखिए)

१. धारा १२ और १३—धारा १२ और १३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए:—

“१३ कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और वह कुलाधिपति द्वारा उसी रीति में हटाया जा सकेगा.”

कुलपति की नियुक्ति.

२. धारा २१, २२, २३ तथा २४—धारा २१, २२, २३ तथा २४ के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं स्थापित की जाएं:

“२१ (१) सभा (कोर्ट) में निम्नलिखित होंगे :

सभा का गठन.

(एक) कुलाधिपति;

(दो) कुलपति;

(तीन) कुलाधिसचिव;

(चार) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग;

(पांच) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन;

(छह) आयुक्त/ निदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी, मध्यप्रदेश शासन;

(सात) संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण;

(आठ) विद्यार्थियों के अधिक से अधिक दो प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए पांच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशित किए जाएंगे;

(नौ) विधान सभा के दो प्रतिनिधि जो विधान सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे और जो ऐसे निर्वाचन के लंबित रहने तक अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किए जाएंगे।

(२) उपधारा (१) के खण्ड (आठ) के अधीन विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को छोड़कर सभा के सदस्यों की पदावधि का उस कालावधि तक विस्तार रहेगा, जिस तक की धारा ५१ के अधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवर्तित रहे और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों की पदावधि उनके नाम-निर्देशन की तारीख से एक वर्ष या अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि का अवसान होने तक, इन दोनों में से जो भी पूर्वतर हो, होगी।

स्पष्टीकरण.—उपधारा (१) के खण्ड (आठ) के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति “विद्यार्थी” का वही अर्थ होगा जो कि उस अभिव्यक्ति की अपरिवर्तित धारा २१ की उपधारा (१) के स्पष्टीकरण (तीन) में दिया गया है।

सभा का सम्मिलन तथा उसकी गणपूर्ति।

“२२ (१) सभा का सम्मिलन वर्ष में एक बार, कुलपति द्वारा नियत की गई तारीख को होगा।

(२) कुलपति, जब कभी भी वह उचित समझे यथासंभव शीघ्र, सभा का विशेष सम्मेलन बुला सकेगा और सभा के सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यक्षता पर यथासंभव शीघ्र सभा का विशेष सम्मिलन बुलाएगा।

(३) सभा के सात सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

सभा की शक्तियां तथा कृत्य।

२३ सभा एक सलाहकार निकाय होगी और वह:—

- (क) राज्य सरकार को ऐसे विषयों के संबंध में सलाह देगी जो सलाह के लिए उसे (सभा को) निर्देशित किया जाए;
- (ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को ऐसे विषयों के संबंध में सलाह देगी जो ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा उसे (सभा को) निर्देशित किया जाए;
- (ग) कार्य परिषद् की सिफारिश पर उपाधियां, उपाधिपत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करेगी;
- (घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा या उसके अधीन या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपी/ सौंपे जाएं।

कार्यपरिषद्

२४ (१) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालक निकाय होगी और इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसमें केवल निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

- (एक) कुलपति;
- (दो) कुलाधिसचिव;
- (तीन) भारसाधक सचिव, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन या उनका प्रतिनिधि जो उपसचिव की पद श्रेणी से नीचे का न हो;
- (चार) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन;
- (पांच) आयुक्त/ संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी, मध्यप्रदेश शासन;
- (छह) दो सदस्य जो प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्ति तथा शिक्षाविद् में से कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(२) कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों की पदावधि का उस कालावधि तक विस्तार रहेगा जिस तक कि, धारा ५१ के अधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवर्तित रहे।

(३) कार्यपरिषद् के चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी।”

३. धारा २५—धारा २५ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनः क्रमांकित की गई उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए:

“(२) कार्यपरिषद्, उपधारा (१) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का पालन करने में, राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्वधीन रहेगी.

कार्यपरिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.

(३) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वार्षिक लेखाओं तथा वित्तीय प्राक्कलनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, जो अपने विचार कार्यपरिषद् को संसूचित कर सकेगी, जो (कार्यपरिषद्) उन पर विचार करेगी तथा उनके संबंध में ऐसी कार्रवाई करेगी जैसी कि वह उचित समझे और जब कोई कार्रवाई न की गई हो, उसके लिए अपने कारण राज्य सरकार को सूचित करेगी.”.

४. धारा २७—धारा २७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए:

विद्या परिषद्.

“२७. (१) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(एक) कुलपति;

(दो) कुलाधिसचिव;

(तीन) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन;

(चार) आयुक्त/ संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी, मध्यप्रदेश शासन;

(पांच) समस्त संकायाध्यक्ष;

(छह) अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष;

(सात) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष;

(आठ) सात शिक्षक जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाएंगे;

(२) विद्या परिषद् के नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि का उस कालावधि तक विस्तार रहेगा जिस तक कि धारा ५१ के अधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवर्तित रहे.

(३) विद्या परिषद् के सात सदस्यों से गणपूर्ति होगी.”.

५. धारा ४१—धारा ४१ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए:

“(३) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए, कार्यपरिषद् किसी प्राधिकारी या निकाय द्वारा इस धारा के अधीन बनाए गए किसी भी विनियम को उपान्तरित या बातिल कर सकेगी.”.

भोपाल, दिनांक 6 मई 2011

क्र. 2829-177-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

**MADHYA PRADESH ACT
NO. 19 OF 2011
THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN VISHWAVIDYALAYA ADHINIYAM, 2011**

TABLE OF CONTENTS

Sections :

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement
2. Definitions

CHAPTER II
THE UNIVERSITY

3. Incorporation of University.
4. Objects.
5. Powers of the University.
6. Jurisdiction
7. Prohibition of discrimination in all matters connected with the University.
8. Teaching in the University.
9. Inspection of the University and colleges

CHAPTER III
OFFICERS OF THE UNIVERSITY

10. Officers of the University
11. Chancellor and his powers
12. Appointment of Vice-Chancellor
13. Emoluments and conditions of service of the Vice-Chancellor, terms of office of and vacancy in the office of the Vice-Chancellor
14. Powers and duties of Vice-Chancellor
15. Powers and duties of the first Vice-Chancellor
16. Rector
17. Registrar
18. Dean of Students Welfare
19. Controller of Examinations and other officers

CHAPTER IV
AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

20. Authorities of the University
21. Constitution of Court
22. Meetings of the Court and quorum thereat
23. Powers and duties of the Court
24. Executive Council
25. Powers and duties of the Executive Council
26. Finance Committee
27. Academic Council
28. Powers and duties of the Academic Council
29. Faculties
30. Board of Studies
31. Powers and functions of the Board of Studies
32. Academic Planning and Evaluation Board
33. Other Boards

CHAPTER V
FINANCES

34. University Fund
35. Objects to which the University Fund may be applied

CHAPTER VI
STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

36. Statutes
37. Statutes how made
38. Ordinances
39. Ordinances how made
40. Procedure regarding Ordinances
41. Regulations

CHAPTER VII
ENROLMENT, DEGREES ETC

42. Admission to University courses
43. Appointment of examiners and moderators
44. Inspection of colleges and schools and reports
45. Registered graduates and diploma holders

CHAPTER VIII
AUDIT

46. Annual Reports
47. Audit of Accounts

CHAPTER IX
APPOINTMENT TO TEACHING POSTS IN THE UNIVERSITY

48. Appointment to teaching posts
49. Salaries of teachers paid by the University

CHAPTER X
EMERGENCY PROVISIONS

50. State Government to assume financial control in certain circumstances
51. Power of State Government to apply Act in modified form with a view to provide for better administration of the University in certain circumstances
52. Effect on expiration of the period of operation of notification under section 51

CHAPTER XI
SUPPLEMENTARY PROVISIONS

53. Disputes as to constitution of the University authorities and bodies
54. Constitution of committees
55. Filling of casual vacancies
56. Proceedings of the University and bodies not invalidated by vacancies
57. Conditions of service
58. Pension and Provident Fund
59. Protection of action taken in good faith
60. Approval for imparting instruction
61. Classification of teachers
62. Terms of office of members of authorities of the University
63. Resignation of member or officer of the University
64. Disqualifications for being member of authority
65. Power to remove, member from Register of registered graduates and diploma holders or, any authority or body of the University
66. Removal of difficulties

THE SCHEDULE

MADHYA PRADESH ACT

NO. 19 OF 2011

THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN VISHWAVIDYALAYA
ADHINIYAM, 2011

[Received the assent of the Governor on the 2nd May, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th May, 2011].

An Act to establish and incorporate a University of Health Sciences for the purpose of ensuring systematic, efficient and qualitative education in Medical, Dental, Nursing, Ayurvedic, Unani, Homeopathy, Yoga, Naturopathy, Siddh, Paramedical and other allied subjects at Degree and Diploma level and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER I
PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

- 2011.
1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam,
 - (2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.
 - (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires:-

- (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
- (b) "affiliated college or school" means an institution admitted to the privileges of the University in accordance with the provisions of this Act and the Statutes;
- (c) "autonomous college or school" means an institution declared as autonomous institution by the Executive Council in accordance with the provisions of this Act;
- (d) "Board of Studies" means the Board of Studies of the University;
- (e) "Central Council of Homoeopathy" means the Homoeopathy Council established under the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (No. 59 of 1973);
- (f) "Central Council of Indian Medicine" means the Central Council of Indian Medicine constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (No. 48 of 1970);
- (g) "Chancellor" means the Chancellor of the University;
- (h) "College" or "school" means an institution maintained by, or admitted to the privileges of the University by or under the provisions of this Act;
- (i) "Court" means the Court of the University;
- (j) "Dean/Principal" means the head of the college or school and includes, when there is no Dean/Principal, the person for the time being duly appointed to act as Dean/Principal;
- (k) "Department" means a Department of Studies and includes a Centre of Studies;
- (l) "Dental Council of India" means the Dental Council established under the Dentist Act, 1948 (No. 16 of 1948);
- (m) "employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;
- (n) "Executive Council" means the Executive Council of the University;
- (o) "Faculty" means Faculty of the University;

- (p) "Head of a University department" means the head of the teaching department maintained by the University for imparting instruction to the students of the University and includes the Director or Dean/Principal of any college or school maintained by the University for the promotion of research or for imparting instruction to the students;
- (q) "Head of college or school department" means the head of any department of a college or school;
- (r) "Hostel" means a unit of residence or of corporate life for the students of the University, or of a college or school provided, maintained or recognised by the University;
- (s) "Indian Nursing Council" means the Nursing Council established under the Indian Nursing Council Act, 1947 (No. 48 of 1947);
- (t) "Medical Council of India" means the Medical Council established under the Indian Medical Council Act, 1956 (No. 102 of 1956);
- (u) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes as specified by the Government of Madhya Pradesh *vide* Notification No. F-85-xxv-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended from time to time;
- (v) "Paramedical Council" means the Paramedical Council established under the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001);
- (w) "person connected with the University" means an employee of the University or a college or a school or a member of any authority or body of the University or of the management of the college or school;
- (x) "registered graduate or diploma holder" means a graduate or diploma holder registered or deemed to be registered under the provisions of this Act;
- (y) "School of Studies" means an institution maintained by the University as a place of higher learning and research;
- (z) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;
- (za) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;
- (zb) "Secretary to Government" includes Additional Chief Secretary to Government and Principal Secretary to Government;
- (zc) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh in Medical Education Department;
- (zd) "Statutes, Ordinances and Regulations" means the Statutes, Ordinances and Regulations of the University;
- (ze) "Teachers of the University" means Professors, Associate Professors, Readers, Assistant Professors, Lecturers and such other persons as may be appointed for imparting instruction or conducting research, with the approval of the Academic Council in the University or any college or school or any institution maintained or recognised by the University;

- (zf) “University” means the Madhya Pradesh Ayurvigyan University;
- (zg) “Vice-Chancellor” means the Vice-Chancellor of the University;
- (zh) “VYAPAM” means Vyavasayaik Pariksha Mandal, Madhya Pradesh, Bhopal.

CHAPTER II THE UNIVERSITY

Incorporation of University.

3. (1) The Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Court, Executive Council and the Academic Council thereof shall constitute the University and the University so constituted shall be a body corporate by the name of the Madhya Pradesh Medical Science University.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) Subject to the provisions of this Act, the University shall be competent to acquire and hold property, both movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer any movable or immovable property, which may have become vested in or may have been acquired by it for the purposes of the University and to contract and do all other things necessary for the purpose of this Act.

(4) The headquarter of the University shall be at Jabalpur.

Objects.

4. The University shall *inter alia* have the following main objectives:-
- (a) to provide a system of health education capable of responding to the changing requirements of health and allied health manpower;
 - (b) to bring about qualitative improvement in teaching and learning processes;
 - (c) to provide congenial environment for consultancy, continuing education and research and development activities;
 - (d) to develop strong links with different health bodies and imparting health education for mutual benefits;
 - (e) to provide necessary help to institutions to encourage entrepreneurship amongst students;
 - (f) to maintain live contact with alumni and develop alumni sponsored programmes.

Powers of the University.

5. Subject to the provision of this Act, the University shall have the following powers, namely :-

- (i) to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge;
- (ii) to organise laboratories, libraries, museums and other equipments for teaching and research;
- (iii) to establish colleges, schools, teaching departments, schools of studies, centers of studies, hostels and guest houses and maintain and manage such establishments;

- (iv) (a) to institute Professorships, Associate Professorships, Readerships, Assistant Professorships Lecturerships and any other academic or teaching posts required by the University and to appoint persons to such posts in accordance with the provisions of this Act;
- (b) to appoint persons working in any other University or organisation as teachers of the University for a specified period;
- (v) to recognize teachers as qualified to give instruction in institutions;
- (vi) to recognize eminent persons to guide research;
- (vii) to lay down the courses of instruction for various examinations;
- (viii) to institute degrees, diploma, certificates and other academic distinctions;
- (ix) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates and confer degrees and other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing :

Provided that no person shall be admitted to an examination leading to any degree or diploma of the University, unless such person, if he had offered a subject for such examination for which a course of practical work is prescribed, has completed such work in a college or school of the University and produces a certificate of such completion from the head of the teaching department or school of studies or the Dean/ Principal of the college or school;

- (x) to confer degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on persons who have carried on research under conditions laid down in the Ordinances;
- (xi) to withdraw degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions for good and sufficient reasons;
- (xii) to confer honorary degrees or other academic distinctions on approved persons in the manner prescribed in the Statutes;
- (xiii) to provide such lectures and instruction for and to grant such diplomas and certificates to persons who are not enrolled as students of the University, as the University may determine;
- (xiv) to admit to its privileges colleges or school not maintained by the University, to withdraw all or any of these privileges and to take over the management of colleges or schools in the manner and under conditions prescribed by the Statutes or the Ordinances;
- (xv) to declare a teaching department of the University, school of studies, college or school as autonomous college or school :

Provided that the extent of the autonomy which such teaching department of the University, school of studies or college or institution may have and the matters, in relation to which it may exercise such autonomy, shall be such as may be prescribed by the Statutes;

- (xvi) to conduct, co-ordinate, regulate and control teaching and research work in the colleges or schools recognised by the University;

-
- (xvii) to recognize hostels not maintained by the University and withdraw any such recognition in the manner prescribed in the Statutes and the Ordinances;
 - (xviii) to inspect colleges or schools or institutions and to take measures to ensure that proper standards of instruction, teaching and training are maintained therein;
 - (xix) to promote with special care the educational interest of the weaker sections of people and in particular of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes;
 - (xx) to provide to the teachers and alumni of the University facilities of refresher and vocational courses;
 - (xxi) to co-operate and collaborate with other Universities and authorities in such manner and for such purposes as the University may determine;
 - (xxii) to make provision for –
 - (a) extra-mural teaching and extension service;
 - (b) correspondence Courses;
 - (c) sports and athletic activities;
 - (d) social service schemes;
 - (e) Nations Cadet Corps;
 - (f) students Union;
 - (xxiii) to provide for training for competitive examinations for services under the Union or State Governments and such other training as may contribute to national development.
 - (xxiv) to institute and manage-
 - (a) Information Bureau;
 - (b) Employment Bureau;
 - (c) Printing and Publication Department;
 - (xxv) to supervise and control the residence, conduct and discipline of students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;
 - (xxvi) to demand and receive payment of such fees and other charges which may be prescribed by the Ordinances;
 - (xxvii) to prescribe and control the fees and other charges which may be received or recovered by colleges;
 - (xxviii) to create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto;

- (xxix) to exercise control over the salaried officers, teachers and other employees of the University in accordance with the Statutes and Ordinances;
- (xxx) to hold and manage trusts and endowments and to institute and award fellowships, scholarships, exhibitions, bursaries, medals and other awards;
- (xxxi) to receive donations and grants and to invest funds in accordance with the provisions of this Act;
- (xxxii) with the prior approval of the State Government to borrow on the security of University property on money for the purposes of the University;
- (xxxiii) to determine standards for admission to the University which may include, examination, evaluation or any other method of testing wherever list of selected candidates are not provided by the "VYAPAM";
- (xxxiv) to make special arrangements in respect of women students as the University may consider desirable;
- (xxxv) to make arrangements for promoting the health and general welfare of employees;
- (xxxvi) to do all such acts and things, whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be requisite in order to further the objects of the University.

6. (1) The jurisdiction of the University shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh. **Jurisdiction.**

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any college or school or institution imparting education in Medical, Dental, Nursing, Ayurvedic, Unani, Homeopathy, Yoga, Naturopathy, Siddh, Paramedical and other allied subjects situated within the limits of the area specified under sub-section (1) shall, with effect from such date as may be notified in this behalf by the State Government, be deemed to be associated with and admitted to the privileges of the University and shall cease to be associated with other University or Board in the manner prescribed by the Statutes or Regulations.

(3) Nothing contained in this section shall apply in case of —

- (a) the colleges or schools or institutions which have not been approved by the Medical Council of India, Dental Council of India, Indian Nursing Council, Central Council of Homeopathy, Central Council of Indian Medicine or Paramedical Council, as the case may be, or the Government of Madhya Pradesh;
- (b) teaching department of any University engaged in teaching of Medical, Dental, Nursing, Ayurvedic, Unani, Homeopathy, Paramedical, Yoga, Naturopathy, Siddh or allied subjects;
- (c) the colleges or schools or institutions maintained by, or affiliated to, a University or Board established by the Central Government.

(4) The research and development work being carried out in colleges or schools or institutions which have been admitted to the privileges of the University shall be co-ordinated and integrated into the activities of the University with effect from such date or dates as may be fixed by the mutual consent of the University and concerned colleges, schools or institutions.

Prohibition of discrimination in all matters connected with the University.

7. It shall not be lawful for the University to impose any test or condition whatsoever relating to religion, caste, sex, place of birth or political or other opinion in order to entitle any person—

- (a) to hold any office in the University; or
- (b) to be a member of any authority of the University; or
- (c) to be appointed or admitted as a teacher; or
- (d) to be admitted to any degree, diploma or other academic distinction or course of study or to qualify for any degree, diploma or other academic distinction; or
- (e) to enjoy or exercise any privileges of the University or benefit thereto; or
- (f) to donate funds for creation of endowment :

Provided that the University may subject to the previous sanction of the State Government, maintain any college or school or institution exclusively for women either for education, instruction or residence or reserve for women or members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, or the Other Backward Classes or disabled, seats for the purposes of admission as students in any college or school or institution maintained or controlled by the University :

Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study, students larger in number than, or with academic or other qualifications lower than those prescribed in the Statutes or Ordinances.

Teaching in the University.

8. All recognised teaching in the University courses, the authorities responsible for organising such teaching and curriculums shall be such as may be prescribed by the Statutes, Ordinances or Regulations, as the case may be.

Inspection of the University and colleges.

9. (1) The Chancellor may, on his own motion, and shall on a request made by the State Government, cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, laboratories, museums, workshops and equipments and of any college or school or institution maintained by the University or admitted to its privileges, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration or finances of the University, college or school or institution.

(2) The Chancellor shall, in every case, give notice of his intention to cause an inspection or inquiry to be made —

- (a) to the University, if such inspection or inquiry is to be made in respect of the University college or school or institution maintained by it ;
- (b) to the management of the college or school or institution if the inspection or inquiry is to be made in respect of a college or school or institution admitted to the privileges of the University and the University or management, as the case may be, shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(3) Such person shall report to the Chancellor the result of such inspection or inquiry and the Chancellor shall communicate through the Vice-Chancellor to the Executive Council or the said management, as the case may be, his views with reference to the result of, such inspection or

inquiry and shall, after ascertaining the opinion of the Executive Council or the management thereon, advise the University or the management upon the action to be taken :

Provided that where an inspection or inquiry is caused on a request from the State Government, the Chancellor shall take action under this sub-section in consultation with the State Government.

(4) The Executive Council or the management, as the case may be, shall communicate through the Vice-Chancellor to the Chancellor such action, if any, as it has taken or is proposed to be taken upon the result of such inspection or inquiry and such report shall be submitted within such time as the Chancellor may direct.

(5) Where the Executive Council or the management, does not within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may, after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council or the management, issue, in consultation with the State Government, such directions as he may think fit and the Executive Council or management, as the case may be, shall comply with these.

CHAPTER III OFFICERS OF THE UNIVERSITY

10. The following shall be the Officers of the University, namely:—

Officers of the University.

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) the Rector;
- (iv) the Deans of faculty;
- (v) the Registrar;
- (vi) the Controller of Examinations;
- (vii) the Dean of Students Welfare; and
- (viii) such other officers in the service of the University as may be declared by the Statutes to be Officers of the University.

11. (1) The Governor of Madhya Pradesh shall be the Chancellor of the University.

Chancellor and his powers.

(2) The Chancellor shall by virtue of his office, be the Head of the University and the President of the Court and shall when present preside at the meetings of the Court or at any convocation of the University.

(3) The Chancellor may—

- (a) call for any papers or information relating to the affairs of the University; and
- (b) for reasons to be recorded, refer any matter except a matter falling under Section 53 for reconsideration to any officer or authority of the University, that has previously considered such matter.

- (4) The Chancellor may, by an order in writing annul:—
- (a) any proceedings of any officer, authority, committee or body of the University constituted by or under this Act, which is not in conformity with this Act, the Statutes, the Ordinances or the Regulations; or
- (b) any proceedings of any authority, committee or other body which has been referred to him by the Vice-Chancellor under sub-section (7) of Section 14,

if he is satisfied that such proceedings are prejudicial to the interest of the University :

Provided that before making such order he shall call upon the officer, authority, committee or body concerned to show cause why such an order should not be made and if any cause is shown within the time specified by him in this behalf he shall consider the same.

(5) Where the Chancellor passes an order annulling the proceedings under sub-section (4), he may make such subsequent order in relation thereto in conformity with this Act, Rules, Statutes, Ordinances or Regulations, as he may deem fit in the interest of the University and the order so made shall be final.

(6) Every proposal to confer an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

(7) The Chancellor shall exercise such powers as may be conferred on him by or under this Act.

Appointment of Vice-Chancellor

12. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of not less than three distinguished persons in the field of health education recommended by the committee constituted under sub-section (2) or sub-section (6) :

Provided that if the person or persons approved by the Chancellor out of those recommended by the committee are not willing to accept the appointment, the Chancellor may call for fresh recommendations from such committee :

Provided further that the first Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government :

Provided also that no person who has attained the age of sixty-six years shall be eligible for appointment or reappointment as Vice-Chancellor.

- (2) The Chancellor shall appoint a committee consisting of the following persons, namely:—
- (i) One person elected by the Executive Council;
- (ii) One person nominated by the State Government;
- (iii) One distinguished person from the field of health education nominated by the Chancellor.

The Chancellor shall appoint one of the three persons to be the Chairman of the committee

(3) For constituting the committee under sub-section (2), the Chancellor shall six months before the expiry of the term of the Vice-Chancellor, call upon the Executive Council and the State Government to choose their nominee and if any or both of them fail to do so within one

month of the receipt of the Chancellor's communication in this regard, the Chancellor may further nominate anyone or both the persons, as the case may be.

(4) No person who is connected with the University or any college or school shall be elected or nominated on the committee under sub-section (2).

(5) The committee shall submit the panel within six weeks from the date of its constitution or such further time not exceeding four weeks as may be extended by the Chancellor.

(6) If for any reasons the committee constituted under sub-section (2) fails to submit the panel within the period specified in sub-section(5), the Chancellor shall constitute another committee in accordance with the provisions of sub-section (2) to (5).

13. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and his emoluments and other terms and conditions of service shall be such as determined by the State Government.

Emoluments and conditions of service of the Vice-Chancellor, terms of office of and vacancy in the office of the Vice-Chancellor.

(2) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of four years or till attaining the age of seventy years, whichever is earlier and shall not be eligible for appointment for more than two terms :

Provided that notwithstanding the expiry of his term he shall continue to hold office until his successor is appointed and enters upon his office but this period shall not, in any case, exceed six months.

(3) If at any time upon representation made or otherwise and after making such enquiries as may be deemed necessary, it appears to the Chancellor that the Vice-Chancellor—

- (i) has made default in performing any duty imposed on him by or under this Act; or
- (ii) has acted in a manner prejudicial to the interest of the University; or
- (iii) is incapable of managing the affairs of the University;

the Chancellor may notwithstanding the fact that the term of office of the Vice-Chancellor has not expired, by an order, in writing, stating the reasons therein, require the Vice-Chancellor to relinquish his office as from such date as may be specified in the order.

(4) No order under sub-section (3) shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to the Vice-Chancellor and he is given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

(5) As from the date specified in the order under sub-section (3), the Vice-Chancellor shall be deemed to have relinquished the office and the office of the Vice-Chancellor shall fall vacant.

(6) In the event of the occurrence of any vacancy including a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor by reason of his death, resignation, leave, illness or otherwise, the Rector and if no Rector has been appointed or Rector is not available, the Dean of any faculty nominated by the Chancellor for that purpose shall act as the Vice-Chancellor until the date on which the Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) of Section 12 enters or re-enters, as the case may be, upon office :

Provided that the arrangement contemplated in this sub-section shall not continue for a period of more than six months.

Powers and duties of Vice-Chancellor.

14. (1) The Vice-Chancellor shall be the principal administrative and academic officer of the University. He shall be an ex-officio member and Chairman of the Executive Council and of the Academic Council and Chairman of such other authorities, committees and bodies of the University of which he is a member. He shall be entitled to be present and to speak at any meeting of any authority, committee or other body of the University, but shall not be entitled to vote thereat unless he is a member of the authority, committee or body concerned.

(2) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure that this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are faithfully observed and he shall have all powers necessary for this purpose.

(3) The Vice-Chancellor shall have the power to convene meetings of the Executive Council, the Academic Council and of such other authorities, committees and bodies of the University of which he is the Chairman. He may delegate this power to any other officer of the University.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor any emergency has arisen which requires immediate action to be taken, the Vice-Chancellor shall take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer, authority, committee or other body as would have in the ordinary course dealt with the matter :

Provided that the action taken by the Vice-Chancellor shall not commit the University to any recurring expenditure for a period of more than three months :

Provided further that where any such action taken by the Vice-Chancellor affects any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer, within thirty days from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Executive Council:

Provided also that this power shall not extend to matters regarding amendment in the Ordinances, Statutes, Regulations or any matter relating to appointments.

(5) On receipt of a report under sub-section (4) if the authority, committee or body concerned does not approve the action taken by the Vice-Chancellor it shall refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

(6) The action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (4) shall be deemed to be the action taken by the appropriate authority until it is set aside by the Chancellor on a reference made under sub-section (5) or is set aside by the Executive Council on an appeal under the second proviso to sub-section (4).

(7) If in the opinion of the Vice-Chancellor, any proceeding of any authority, committee or other body of the University is likely to be prejudicial to the interest of the University, he shall record his reasons and refer the matter to the Chancellor and also inform the authority, committee or other body concerned whereupon the decision concerned shall not be given effect to till the matter is decided by the Chancellor under sub-section (4) of section 11.

(8) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall give effect to the decisions of the authorities of the University.

(9) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes, Ordinances and Regulations.

Powers and duties of the first Vice-Chancellor.

15. It shall be the duty of the first Vice-Chancellor of the University to constitute Court, Executive Council, Academic Council and other authorities of the University within a period of two years from the date of establishment of the University and till the said authorities are constituted, the Vice-Chancellor shall be deemed to be the Executive Council, Academic Council or such other authority, as the case may be and shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed on such authorities by or under this Act :

Provided that the Chancellor may, if he considers it necessary or expedient so to do, appoint a committee, after consultation with the State Government, consisting of an educationist and an administrative expert to aid and advise the Vice-Chancellor in the exercise of his powers and performance of functions in lieu of each such authority.

16. (1) Rector shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor. If the Executive Council does not accept the recommendation of the Vice-Chancellor the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Rector.

(2) The Rector shall be a salaried officer of the University. The emoluments and the conditions of his service shall be such as determined by the State Government.

(3) The term of office of the Rector shall be such as may be prescribed by the Statutes and till so prescribed, as may be determined by the Chancellor.

(4) The Rector shall perform, such duties and exercise such powers of Vice-Chancellor as may be assigned to him by the Chancellor in consultation with the Vice-Chancellor and he shall perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes, Ordinances and Regulations.

17. (1) The Registrar shall be a whole-time salaried officer of the University and shall discharge his duties under the Act, subject to the general superintendence and control of the Vice-Chancellor. He shall act as the Secretary of the Court, of the Executive Council, of the Academic Council and of the Academic, Planning and Evaluation Board.

Registrar.

(2) The Registrar shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the teachers of a Government Medical College with a minimum 7 years experience as professor or administrative officers of equivalent or higher ranks serving in any department of the State Government.

(3) The emoluments and conditions of service of the Registrar shall be such as may be determined by the State Government.

(4) Subject to the powers of the Executive Council, the Registrar shall, unless otherwise provided in the Statutes, be responsible for seeing that all moneys are expended for the purpose for which they are granted or allotted.

(5) Unless otherwise provided for by or under this Act, all contracts shall be signed and all documents and records shall be authenticated by the Registrar on behalf of the University.

(6) The Registrar shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on him, by the Statutes, Ordinances and Regulations.

18. (1) The Dean of Students Welfare shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor.

Dean of Students Welfare.

(2) The Dean appointed under sub-section (1) shall be a whole-time salaried officer. His emoluments and conditions of service shall be such as may be determined by the State Government :

Provided that the Executive Council may, if it considers necessary, appoint on the recommendation of the Vice-Chancellor, a teacher, not below the rank of an Associate Professor or Reader for a period of three years to discharge the duties of the Dean of Students Welfare, in addition to his duties as such teacher, and in such a case, the Executive Council may sanction a suitable allowance to be paid to him.

(3) The duties and powers of the Dean of Students Welfare shall be prescribed by the Statutes.

Controller of Examinations and other officers.

19. (1) The Controller of Examinations shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the teachers of a Government Medical College with a minimum 3 years experience as professor.

(2) The emoluments and conditions of service of the Controller of Examinations shall be such as may be determined by the State Government.

(3) The Controller of Examinations shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on him, by the Statutes, the Ordinances and the Regulations.

(4) The appointment of other officers and employees of the University shall be made in such manner and their emoluments and conditions of service shall be such as may be prescribed by the Statutes, Ordinances and Regulations.

CHAPTER IV

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

Authorities of the University.

20. The following shall be the authorities of the University, namely:-

- (i) the Court;
- (ii) the Executive Council;
- (iii) the Finance Committee;
- (iv) the Academic Council;
- (v) the Faculties;
- (vi) the Board of Studies;
- (vii) the Academic Planning and Evaluation Board;
- (viii) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

Constitution of Court.

21. (1) The Court shall consist of the following persons namely:-

GROUP-A

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) the Rector;
- (iv) the Deans of Faculty;
- (v) Secretaries in charge of the Medical Education and Ayush Department of the Government of Madhya Pradesh;
- (vi) the Director of Medical Education, Government of Madhya Pradesh;
- (vii) Commissioner/Director, Indian System of Medicine and Homeopathy, Government of Madhya Pradesh;
- (viii) the Dean of Students Welfare;

GROUP-B

- (ix) one Professor, one Associate Professor /Reader and one Assistant Professor / Lecturer from University Teaching Department / School of Studies, Centre of Studies to be elected from amongst themselves in the manner prescribed by the Statutes;
- (x) one Dean/Principal, one Professor, one Associate Professor/ Reader and one Assistant Professor / Lecturer from affiliated college to be elected from amongst themselves in the manner prescribed by the Statutes;

GROUP-C

- (xi) not more than two persons representing "Learned Professions" to be nominated by the Chancellor, in the manner prescribed by the Statutes;
- (xii) not more than four persons representing Indian Red Cross Society and association of Medical, Dental, Ayurved, Unani, Homeopathy, Nursing, Paramedical, Yoga, Naturopathy or Siddh practitioners to be nominated by the Chancellor;
- (xiii) four members of the State Legislative Assembly to be selected by the State Legislative Assembly;
- (xiv) five representatives to be elected by the registered graduates of the University from amongst themselves;
- (xv) every donor donating 10 lakh rupees or more to the University;
- (xvi) one representative from the salaried not-teaching employees of the University elected from amongst themselves in the manner prescribed by the Statutes;

GROUP-D

- (xvii) two students elected by the student members of the Board of Studies from amongst themselves;
- (xviii) two students to be elected from amongst themselves by students who in the academic session immediately preceding the election have been members of teams of the University participating in the University tournaments;

GROUP-E

- (xix) such members of the Executive Council who are not members under any of the foregoing groups.

Explanation –

- (i) No person shall be eligible to become a member of the Court under more than one item;
- (ii) not more than one person shall be nominated from any University Teaching Department, School of Studies or College under item of (ix) of Group B;
- (iii) For the purpose of Group-D, "student" shall mean a person who-
 - (a) is receiving instruction or carrying on research in any of the college or University Teaching Department or School of Studies or any other institution of the University under the terms and conditions laid down in the Ordinances; and

- (b) has passed his class 12the examination of 10+2 scheme not earlier than 12 years before the opening date of the academic session in which he seeks election. Further, he must have passed each of the examinations from 12th onwards in single attempt.

(2) The term of office of members elected under Group-D of the sub-section (1) shall be one year.

(3) The term of office of members nominated or elected, as the case may be, under Group-B and Group-C or included in Group-E of sub-section (1) shall be coterminous with the term of the Court which shall be three years.

(4) Every donor specified in item (xv) of sub-section (1) shall be a member of the Court for 7 years from the date the donation is accepted by the University and during the period aforesaid, the representative as may be nominated from time to time by such donor shall be deemed to be the donor.

Meetings of the Court and quorum thereat.

22. (1) The Court shall meet at least once in a financial year and meeting of the court shall be convened by the Registrar in consultation with the Chancellor.

(2) One third of the members of the Court shall form the quorum :

Provided that no quorum shall be necessary for adjourned meeting.

Powers and duties of the Court.

23. Subject to the provision of this Act, the Court shall exercise the following powers and perform the following duties, namely:-

- (i) to act as an advisory body in all matters relating to the University;
- (ii) to review from time to time the broad policies and programmes of the University;
- (iii) to consider and pass resolutions on the annual report, the annual accounts and audit report thereon, if any;
- (iv) to consider and pass resolutions on the annual financial estimates of the University;
- (v) to confer on the recommendation of the Executive Council honorary degrees and other academic distinctions;
- (vi) to review the acts of the other authorities of the University where such authorities have not acted in accordance with the powers conferred upon them by this Act, the Statutes and the Ordinances;
- (vii) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by this Act and the Statutes.

Executive Council.

24. (1) The Executive Council shall be the executive body of the University and shall consist of the following namely :-

- | | | |
|------|---------------------|----------|
| (i) | the Vice-Chancellor | Chairman |
| (ii) | the Rector | Member |

(iii)	The Secretaries incharge of Medical Education, Ayush and Finance departments, Government of Madhya Pradesh, or their representatives not below the rank of Deputy Secretary	Member
(iv)	one Dean / Principal of affiliated colleges or schools or institutions to be nominated by the Chancellor by rotation according to seniority	Member
(v)	all Deans of Faculty	Member
(vi)	one professor from the University Teaching Departments and affiliated colleges or institutions to be nominated by the Chancellor, by rotation according to seniority	Member
(vii)	two Heads of Department from affiliated colleges or schools, of which one shall be from Nursing or Paramedical subjects, to be nominated by the Chancellor, by rotation, according to seniority.	Member
(viii)	the Director, Medical Education, Government of Madhya Pradesh	Member
(ix)	the Commissioner / Director, Indian System of Medicine and Homeopathy, Government of Madhya Pradesh	Member
(x)	two educationists from the field of Medical/Dental/Nursing/ Ayurvedic/ Unani/Homeopathy/Yoga/ Naturopathy/Siddh/ Paramedical education to be nominated by the Chancellor	Member

(2) The members of the Executive Council other than ex-officio members shall hold office for a period of three years.

(3) One third of the members of the Executive Council shall form the quorum :

Provided that no quorum shall be necessary for adjourned meeting.

(4) The Registrar in consultation of the Vice-Chancellor shall convene the meeting of the Executive Council.

25. Subject to the provisions of this Act, the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder, the Executive Council shall have the following powers and shall perform the following duties, namely:-

Powers and duties of the Executive Council.

- (i) to hold, control and administer the property and funds of the University;
- (ii) to administer the funds placed at the disposal of the University for specific purpose;
- (iii) to adopt the annual accounts together with the audit report;

- (iv) to prepare the annual financial estimates of the University and to place them before the Court for its consideration;
- (v) (a) to adopt the annual financial estimates after considering suggestions of the court, if any;
- (b) to fix the limit for the total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year based on the resources of the University which, in the case of capital expenditure, may include the proceeds of loans;
- (vi) subject to clause (v), at any time during the financial year:-
- (a) to reduce the amount of the budget grant;
- (b) to sanction the transfer of any amount within a budget grant from one head to another or from a subordinate head under one minor head to a subordinate head under another minor head; or
- (c) to sanction the transfer of any amount not exceeding rupees twenty five thousand within a minor head from one subordinate head to another or from one primary unit to another;
- (vii) to borrow and lend funds on behalf of the University :
- Provided that funds shall not be borrowed on the security of University property without the prior approval of the State Government;
- (viii) to transfer any movable or immovable property on behalf of the University :
- Provided that no immovable property of the University shall, except with the prior sanction of the State Government, be transferred by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise;
- (ix) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University in the exercise or performance of the powers and duties assigned to it by this Act, and the Statutes;
- (x) to determine the form of, provide for the custody and regulate the use of the common seal of the University;
- (xi) to submit annually to the State Government a full statement of the financial requirements of the University including colleges, hospitals, hostels and other units established or maintained by it;
- (xii) to admit colleges or schools to the privileges of the University on the recommendation of the Academic Council subject to the provisions of this Act and Statutes and to withdraw any of the privileges and to take over the management of the colleges, schools or institutions in the manner and under conditions prescribed by the Statutes and Ordinances;
- (xiii) to declare a teaching department of the University, school of studies, college or school as autonomous college or school;

Provided that the extent of autonomy which each such teaching department of the University, school of studies or college or school may have, and the matters in relation to which it may exercise such autonomy, shall be such as may be prescribed by the Statutes;

- (xiv) to make provision for buildings, premises, furniture, apparatus, books and other means needed for carrying on the works of the University;
- (xv) to accept on behalf of the University, trusts, bequests, donations and transfers of movable or immovable properties to the University;
- (xvi) to manage and regulate the finances, accounts and investments of the University;
- (xvii) to institute and manage:-
- (a) a Printing and Publication Bureau;
 - (b) an Information Bureau;
 - (c) an Employment Bureau;
- (xviii) to make provision for :-
- (a) (1) Extramural teaching and research;
 - (2) University Extension Activities;
 - (b) Students Union;
 - (c) Students Welfare;
 - (d) Sports and athletic activities;
 - (e) Social Services Scheme; and
 - (f) National Cadet Corps;
- (xix) to scrutinize all proposals of the Academic Council with a view to their execution within the framework of the budget;
- (xx) to institute such Professorships, Associate Professorships / Readerships, Assistant Professorships/ Lecturerships or other teaching posts as may be proposed by the Academic Planning and Evaluation Board :
- Provided that no teaching post shall be instituted without the prior approval of the State Government;
- (xxi) to create administrative, ministerial and other posts with the prior sanction of the State Government;
- (xxii) to abolish or suspend, after report from the Academic Planning and Evaluation Board thereon, any Professorships, Associate Professorships / Readerships , Assistant Professorships / Lecturerships or other teaching posts in the University;
- (xxiii) to establish colleges, teaching departments, institutions of research of specialized studies, laboratories, libraries, museums and hostels and maintain and manage these insitutions;
- (xxiv) to recognise hostels and to provide housing accommodation for teachers of the University;

- (xxv) to arrange for and direct the inspection of affiliated colleges, recognised institutions and hostels and to issue instructions for maintaining their efficiency and for ensuring proper conditions of employment for members of their staff, and payment of adequate salaries and in case of disregard of such instructions, to modify on the recommendations of the Academic Council, the conditions of affiliation or recognition or taking such other steps as it deems necessary and proper in that behalf;
- (xxvi) to prepare a College Code laying down therein the terms and conditions of affiliation of colleges, schools and institutions;
- (xxvii) to call for reports, returns and other information from affiliated colleges, recognised institutions, schools or hostels;
- (xxviii) to supervise and control the admission, residence, conduct and discipline of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;
- (xxix) to recommend to the Chancellor the conferment of honorary degree and academic distinctions in the manner prescribed by the Statutes;
- (xxx) to confer or withdraw degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions in the manner prescribed by the Statutes;
- (xxxi) to institute fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes;
- (xxxii) save as otherwise provided by this Act, or the Statutes, to appoint teachers, officers and employees of the University, to define their duties and the conditions of their service and to provide for the filling up of temporary vacancies;
- (xxxiii) to regulate and enforce discipline among members of the teaching, administrative and ministerial staff of the University in accordance with the Statutes and Ordinances;
- (xxxiv) to recognise a member of the staff of an affiliated or recognised institution as a teacher of the University and withdraw such recognition;
- (xxxv) to fix remuneration of examiners and to arrange for the conduct of and publication of results of examinations and other tests;
- (xxxvi) to cancel any examination in the event of malpractices, partly or wholly and to take action against any person or institution found guilty of such malpractices including rustication of students;
- (xxxvii) to take disciplinary action against students enrolled in the University, including candidates for any examination;
- (xxxviii) to take disciplinary action against staff and persons appointed as invigilators;
- (xxxix) to fix, demand and receive such fees and other charges as may be prescribed by the Ordinances;
- (xl) to make, amend and cancel Ordinances;
- (xli) to accept, reject or return to the Academic Council for consideration, but not to amend, a Regulation framed by the Academic Council;

- (xlii) to entertain, adjudicate upon and, if deemed fit, to redress grievances of employees and students;
- (xliii) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act;
- (xliv) to exercise all powers of the University not otherwise provided for in this Act or the Statutes and all other powers which are requisite to give effect to the provisions of this Act or the Statutes;
- (xlv) to delegate by Regulations any of its powers to the Vice-Chancellor, the Registrar or such other officer of the University or a committee appointed by it as it may deem fit.

26 (1) The Chancellor shall constitute a Finance Committee for the University, consisting of the following members, namely:-

**Finance
Committee.**

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) the Registrar;
- (iii) the Finance Officer of the University;
- (iv) Secretaries incharge of Medical Education and Ayush Departments, Government of Madhya Pradesh or their nominees not below the rank of Deputy Secretary;
- (v) Secretary incharge of Finance Department, Government of Madhya Pradesh or his nominee not below the rank of Deputy Secretary.

(2) The Finance Committee shall control the finances of the University.

(3) Subjects to the provisions of this Act, the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder the Finance Committee shall exercise the powers and perform the functions as under:-

- (a) to review income and expenditure of the University;
- (b) to prepare the annual financial estimates of the University before the commencement of the financial year and place it before the Executive Council for approval and to advise amendment therein from time to time;
- (c) to sanction proposals and take decisions on the income and expenditure of the University;
- (d) to get the annual accounts and the annual audit of the University completed in time, and in the light of the audit report, order appropriate directions.

(4) Three members shall form the quorum out of which presence of Vice-Chancellor and one member either from clause (iv) or (v) of sub-section (1) shall be essential.

27. (1) The Academic Council shall be the academic body of the University consisting of the following members, namely:-

Academic Council.

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) the Rector;
- (iii) the Director, Medical Education, Government of Madhya Pradesh;

- (iv) the Commissioner/Director, Indian System of Medicine and Homeopathy, Government of Madhya Pradesh;
- (v) all Deans of Faculty;
- (vi) the Chairman of Board of Studies;
- (vii) all Heads of Department of the University;
- (viii) four Deans / Principals, two from affiliated colleges and two from affiliated schools to be nominated by the Vice-Chancellor, by rotation, according to seniority;
- (ix) two professors from affiliated colleges of the University to be nominated by the Vice-Chancellor, by rotation, according to seniority;
- (x) two Associate Professors / Readers from the University teaching departments amongst whom one shall be a lady teacher nominated by the Vice-Chancellor, by rotation, according to seniority.

(2) One-third of the members of the Academic Council shall form the quorum :

Provided that no quorum shall be necessary for adjourned meeting.

(3) The Academic Council shall have the powers to co-opt, as members, two persons having special knowledge or experience in the subject matter of any particular business which may come before the Council for consideration. The members so co-opted shall have all the rights of the members of the Council in regard to the transaction of the business in relation to which they may be co-opted.

(4) All the members of the Academic Council other than ex-officio members and members referred to in sub-section (3) shall hold office for a term of three years.

(5) The Registrar shall convene the meetings of the Academic Council in consultation with the Vice-Chancellor.

Powers and duties of the Academic Council

28. (1) The Academic Council shall, in addition to all other powers vested in it by this Act, the Statutes and Ordinances, have the following powers and perform the following duties, namely:—

- (i) to exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instruction, cooperative teaching among colleges maintained by or admitted to the privileges of the University, valuation of research or improvements in academic standards;
- (ii) to consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference by a faculty or the Executive Council and to take appropriate action thereon;
- (iii) (a) to make proposals for allocating departments to the Board of Studies;
(b) to assign fellows and its own members to the faculty;
- (iv) to make proposals for the institution of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes and to make rules for their award;
- (v) to consider the application for admission of an educational institution to the privileges of the University :

Provided that no such applications shall be considered unless the institution has been approved by the Medical Council of India, Dental Council of India, Indian Nursing Council, Central Council of Homeopathy, Central Council of Indian Medicine or Paramedical Council or the Government of Madhya Pradesh, as the case may be;

- (vi) to prescribe qualifications for recognition of persons as teachers of the University and to accord such recognition;
- (vii) to make arrangements for the conduct of examinations and to appoint result committees or other persons or both, as it thinks fit, to prepare the results of examinations and report such results to the Executive Council for publications;
- (viii) to recognise persons eminent in any subject to guide research in that subject.

(2) The Academic Council may appoint a Standing Committee consisting of its members. The constitution, powers and functions of the said Standing Committee shall be determined by the Statutes.

29. (1) The University shall have one or more faculties as may be prescribed by the Statutes. **Faculties.**

(2) Each Faculty shall consist of a Dean and such other members and shall have such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

(3) Each Faculty shall have such departments as may be assigned to it by the Ordinances.

(4) The Dean shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Vice-Chancellor for a period of two years from amongst the professors of the University teaching department or schools of studies or college professors who are teachers in the said subject :

Provided that if there is no professor of the University teaching departments or schools of studies teaching the said subject, the Dean shall be appointed from amongst the professors of affiliated colleges who are teachers in the said subject;

(5) The Dean shall be the Chairman of the Faculty and shall be responsible for the due observance of the Statutes, the Ordinances and the Regulations relating to the Faculty and for the conduct and maintenance of standards of teaching and research.

(6) The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of any Boards of Studies of the Faculty but shall not have the right to vote thereat.

30. (1) There shall be a Board of Studies for every subject or group of subjects for degree and diploma courses as prescribed by the Statutes. **Board of Studies.**

(2) Each Board shall consist of such persons as may be prescribed by the Statutes.

31. The Board of Studies shall have such powers and perform such functions as may be prescribed by the Statutes. **Powers and functions of the Board of Studies.**

32. (1) The Academic Planning and Evaluation Board shall consist of the following members, namely:- **A c a d e m i c Planning and Evaluation Board**

- (i) the Vice-Chancellor Chairman;
- (ii) the Rector Member;
- (iii) all Deans of Faculty Member;

- (iv) three Heads of University Departments and Schools of Studies nominated by the Vice-Chancellor Member;
- (v) three college professors nominated by the Vice-Chancellor Member;
- (vi) three scholars of repute not connected with the University nominated by the Chancellor; Member;
- (vii) three Heads of Department nominated by the Vice-Chancellor Member.
- (2) One-third of the members of the Board shall form a quorum.
- (3) The term of the Academic Planning and Evaluation Board shall be three years.
- (4) The Academic Planning and Evaluation Board shall have the following powers and perform the following duties, namely:-
- (i) to prepare the short-term and long-term plan of the University;
- (ii) to consider and forward to the Executive Council with its recommendations the research projects and academic programmes proposed by the Faculties and to bring about inter-faculty co-ordination for taking up projects on inter-faculty basis;
- (iii) to suggest new academic programmes of the Faculties and to do academic evaluation of affiliated colleges and schools and institutions of the University from time to time;
- (iv) to make proposals for the establishment of departments, institutions of research and specialized studies, laboratories and museums;
- (v) to make proposals for the institution of teaching posts and for prescribing the duties of such posts.
- (vi) to evaluate from time to time the working of the University teaching departments and schools of studies;
- (vii) to evaluate periodically the progress of the plan.

Other Boards.

33. (1) There shall be such other Boards in the University as may be prescribed by the statutes.

(2) The constitution, term, powers and duties of the Boards constituted under sub-section (1) shall be such as may be prescribed by the Statutes.

CHAPTER V FINANCES

University Fund.

34. (1) The University shall establish a fund to be called the University fund.

(2) The following shall form part of, or be paid into the University fund:-

- (a) any rent, contribution or grant by Central or State Government or any body corporate;
- (b) trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any;
- (c) the income of the University from all sources including income from fees and charges;
- (d) all other sums received by the University.

(3) The University Fund shall be kept in any Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934) or invested in securities authorized by the Indian Trusts Act, 1882 (No. 1 of 1882), at the discretion of the Executive Council.

(4) Nothing in this section shall, in any way, affect any obligations accepted by or imposed upon the University by any declaration of trust executed by or on behalf of the University for the administration of any trust.

35. (1) The University Fund shall be applicable to the following objects and in the following order:-

Objects to which the University Fund may be applied.

- (a) to the repayment of debts incurred by the University for the purpose of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder;
- (b) to the upkeep of colleges, teaching departments and schools of studies established by the University, residences and hostels;
- (c) to the payment of the cost of audit of the University Fund;
- (d) to the expenses of any suit or proceedings to which University is a party;
- (e) to the payment of salaries and allowances of the officers and employees of the University, members of the teaching staff and the establishment employed in the colleges maintained by the University for and in furtherance of the purposes of this Act, and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder and to the payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to any such officers and employees, members of the teaching staff or the members of such establishment;
- (f) to the payment of the traveling and other allowances of the members of the Executive Council, the Academic Council and any other authorities of the University or the members of any Committee or Board appointed by any of the authorities of the University in pursuance of any provision of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder;
- (g) to the payment of fellowships, scholarships, studentships and other awards to students;
- (h) to the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and the Regulations made thereunder;
- (i) to the payment of any other expenses not specified in any of the preceding clauses declared by the Executive Council to be the expenses for the purpose of the University.

(2) No expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year fixed by the Executive Council without the previous approval of the Executive Council.

(3) No expenditure other than that provided for in the budget shall be incurred by the University without the previous approval of the Executive Council.

CHAPTER VI
STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

Statutes.

36. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) constitution, powers and duties of such bodies as may be deemed necessary to be constituted from time to time;
- (b) manner of election or appointment and the term of office of the members of the bodies referred to in clause (a) including the continuance in the office of the first members, and filling of vacancies of the members and all other matters relating to those bodies for which it may be necessary or desirable to provide;
- (c) powers and duties of the Vice-Chancellor;
- (d) term of office, powers and duties of the Rector;
- (e) powers and duties of the Registrar, the Dean of Students Welfare and the Controller of Examinations and the powers and duties of other officers and employees of the University and the conditions of their service;
- (f) constitution of a pension or Provident Fund and the establishment of an insurance scheme and provision of gratuity and other benefits for the benefit of the employees of the University;
- (g) holding of convocation to confer degrees;
- (h) conferment of honorary degrees;
- (i) withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
- (j) establishment and abolition of faculties, hostels, teaching departments, schools of studies, colleges and schools and institutions maintained by the University;
- (k) conditions under which colleges, schools and institutions may be admitted to the privileges of the University and withdrawal of such privileges;
- (l) extent of the autonomy which the teaching departments of the University, schools of studies or colleges or schools and institutions may have and the matters in relation to which such autonomy may be exercised;
- (m) qualifications of Professors, Associate Professors, Readers, Assistant Professors, Lecturers and other teachers in affiliated colleges and recognised institutions;
- (n) administration of endowments and the institution of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, bursaries, medals, prizes and other awards;
- (o) emoluments and terms and conditions of service of the officers and the emoluments and terms and conditions of service other than pay scales of teachers of the University paid by the University;
- (p) mode of determining seniority of Deans, Principals, teachers and employees for the purpose of this Act;
- (q) maintenance of a register of registered graduates;

- (r) establishment and constitution of Bureau for Publications; and
- (s) all other matters which, by this Act, are to be provided for by Statutes.

37. (1) The first Statutes with regard to matters set out in section 36 shall be made by the State Government and a copy thereof shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Statutes how made.

(2) The Executive Council may from time to time make new or additional Statutes and may amend or repeal the Statutes in the manner hereinafter in this section provided.

(3) The Academic Council may propose to the Executive Council the draft of any new Statute or amendment of any existing Statutes to be passed by the Executive Council and such draft shall be considered by the Executive Council at its next meeting :

Provided that the Academic Council shall not propose the draft of any Statutes or of any amendment of a Statute affecting the status, power or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity to express its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.

(4) The Executive Council may approve any such draft as is referred to in sub-section (3) and pass the Statute or reject it or return it to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part, together with any amendment which it may suggest.

(5) Any member of the Executive Council may propose to the Executive Council the draft of any new Statute or amendment to existing Statute and the Executive Council may either accept or reject the proposal if it relates to a matter not falling within the purview of the Academic Council. In case such draft relates to a matter within the purview of the Academic Council, the Executive Council shall refer it for consideration to the Academic Council, which may either report to the Executive Council that it does not approve the proposal, which shall then be deemed to have been rejected by the Executive Council or submit the draft to the Executive Council in such form as the Academic Council may approve and the provisions of this section shall apply in the case of draft so submitted as they apply in the case of a draft proposed to the Executive Council by the Academic Council.

(6) The new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal of a Statute shall require the previous approval of the Chancellor who may sanction, disallow or remit it for further consideration.

38. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters:-

Ordinances.

- (i) admission of students to colleges, teaching departments, schools of studies and laboratories and levy of fees and their enrolment;
- (ii) degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions to be awarded by the University and the qualifications for the same;
- (iii) examinations leading to the degrees, diplomas and certificates of the University;
- (iv) fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examinations, degrees and diplomas of the University;
- (v) laying down conditions for appearing at examinations for degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
- (vi) conduct of examinations;

- (vii) conditions of award of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes etc;
- (viii) maintenance of discipline amongst the students of the University;
- (ix) conditions of residence of the students of teaching departments and schools of studies and the levy of fees for residence in hostels;
- (x) recognition and inspection of hostels;
- (xi) special arrangements if any which may be made for the residence, discipline and teaching of woman students and prescribing for them special courses of study;
- (xii) giving of moral instruction;
- (xiii) management of colleges, schools and other institutions founded or maintained by the University;
- (xiv) supervision and inspection of colleges, schools and other institutions admitted to the privileges of the University;
- (xv) duties, qualifications and conditions of appointment including pay scales of teachers of the University paid by the University;
- (xvi) duties and powers of the Board and Committees to be appointed by the University jointly with any other University or body;
- (xvii) rules to be observed and enforced by affiliated colleges, schools and recognised institutions in respect of transfer of students;
- (xviii) register of students to be kept by affiliated colleges, schools and recognised institutions;
- (xix) mode of execution of contracts or agreements by or on behalf of the University;
- (xx) rates at which traveling allowance and daily allowance shall be admissible to the members of authorities, committees and other bodies of the University, the examiners, the officers and staff of the University;
- (xxi) constitution of students union and mode of election thereto; and
- (xxii) all other matters which, by this Act or the Statutes, are to be or, may be provided for by the Ordinances :

Provided that an Ordinance under item (xv) shall be subject to the provision of section 49.

Ordinances how made.

39. (1) All Ordinances shall be made by the Executive Council.

(2) An Ordinance made by the Executive Council shall come into force from the date on which it is approved by the Chancellor.

Procedure regarding Ordinances.

40. (1) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 38, no Ordinance shall be made by the Executive Council-

- (a) affecting the admission of students or prescribing examinations to be recognised as equivalent to the University examinations or further qualifications mentioned in sub-section (1) of section 42 for admission to the degree or diploma courses of the University unless a draft of the same has been proposed by the Academic Council; or

- (b) affecting conditions and duties of examiners and the conduct or standard of examinations except in accordance with a proposal of the Faculty or Faculties concerned and unless a draft of such Ordinance has been proposed by the Academic Council; or
- (c) affecting the qualifications and emoluments of teachers of the University paid by the University, unless a draft of the same has been proposed by the Academic Council.

(2) The Executive Council shall not have powers to amend any draft proposed by the Academic Council under sub-section (1) but may reject the proposal or return the draft to the Academic Council, for reconsideration, either in whole or in part, together with any amendment which the Executive Council may suggest.

(3) After any draft returned under sub-section(2) has been further considered by the Academic Council together with any amendment suggested by the Executive Council it shall be again presented to the Executive Council with a report of the Academic Council thereon and the Executive Council may then deal with the draft in such manner as it may think fit.

(4) Where the Executive Council has rejected the draft of an Ordinance proposed by the Academic Council, the Academic Council may appeal to the Chancellor and the Chancellor may direct that such Ordinance shall have effect from such date as may be specified in the direction.

41.(1) The authorities, committees and other bodies of University constituted by or under this Act may make regulations, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances-

Regulations.

- (a) laying down the procedure to be observed at their meeting and the number of members required to form a quorum :

Provided that until Regulations providing for quorum are made, the quorum to constitute a meeting of any authority, committee or other body of the University shall be the number forming the majority of the members constituting such authority, committee or other body of the University for the time being;

- (b) providing for all matters which, by this Act, the Statutes or the Ordinances, are to be prescribed by Regulations; and
- (c) providing for all other matters solely concerning such authority, or other body or the committees appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances.

(2) Every authority, committee and body of the University shall make regulations providing for the giving of notice to the members of such authority, committee or body of the date of meeting and of the business to be considered at meeting and for keeping the minutes of the meeting.

(3) The Executive Council can modify or annul any Regulations made under this section by any authority, committee or body, other then the Court :

Provided that any authority, committee or body of the University which is not satisfied with any modification or annulment may appeal to the Chancellor whose decision in this matter shall be final.

CHAPTER VII
ENROLMENT, DEGREES, ETC.

Admission to University courses.

42. (1) Students shall not be eligible for admission to a course of study for a degree or diploma unless they have passed the final examination held under the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965 (No. 23 of 1965), or an examination recognised in accordance with the provisions of this section as equivalent thereto and possess such further qualifications as may be prescribed by the Ordinances.

(2) The University may with the previous sanction of the State Government, recognize for the purposes of admission to a course or study for a degree or diploma as equivalent to its own degrees or diplomas and any degree or diploma conferred by any other university or Board as equivalent to the final examination held under the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965 (No. 23 of 1965), or any other examination.

(3) No student shall be admitted to a course of study leading upto a degree unless he is enrolled as a student in a college, school, institution, teaching department or school of studies.

Appointment of examiners and moderators.

43. (1) Subject to the provisions of the Statutes, all examiners and moderators of examination questions shall be appointed by the Vice-Chancellor in consultation with a committee consisting of the following members:-

(i) the Dean of the Faculty concerned who shall be the Chairman of the committee;

(ii) the Chairman of the Board of Studies concerned;

(iii) a member of the Board of Studies concerned to be nominated for the purpose by the Vice-Chancellor.

(2) If during the course of an examination, an examiner becomes for any cause, incapable of acting as such, the Vice-Chancellor shall appoint any other examiner to fill the vacancy.

Inspection of colleges and schools and reports

44. (1) Every college or school shall furnish such reports, returns and other information as the Executive Council, after obtaining the opinion of the Academic Council, may require to enable it to judge the efficiency of the college or school.

(2) The Executive Council shall cause such college, school or institution to be inspected from time to time by one or more competent persons authorized by the Executive Council in this behalf.

(3) The Executive Council may call upon any such college, school or institution so inspected to take within a specified period, such action as appears to it to be necessary.

Registered graduates and diploma holders.

45. Only graduates or diploma holders of the University shall, on payment of such fees as may be prescribed by the Statutes, be entitled to have their names enrolled in the Register of registered graduates and diploma holders, to be maintained in such form as may be prescribed by the Statutes.

CHAPTER VIII
AUDIT

Annual Reports.

46. The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Court on or before such date as may be prescribed by the Statutes and shall be considered by the Court at its annual meeting. The Court may pass resolution thereon and communicate the same to the Executive Council. The University shall, thereafter send

a copy of the annual report to the State Government and the State Government shall, as soon as may be, cause the same to be laid on the table of the Legislative Assembly.

47. (1) The Accounts of the University shall at least once every year at intervals of not more than fifteen months be audited by the Examiner of Local Fund Accounts of the State. **Audit of Accounts.**

(2) The copies of the audited accounts together with the audit report shall be submitted by the Executive Council to the Court and the State Government. The State Government shall, as soon as may be, cause the same to be laid on the table of the Legislative Assembly.

CHAPTER IX

APPOINTMENT TO TEACHING POSTS IN THE UNIVERSITY

48. (1) No person shall be appointed- **Appointment to teaching posts.**

(i) as a Professor, Associate Professor, Reader, Assistant Professor or Lecturer, or

(ii) to any other teaching post of the University paid by the University

except on the recommendation of a committee of selection constituted in accordance with sub-section (2) :

Provided that if appointment to any of the teaching posts aforesaid is not expected to continue for more than six months and cannot be delayed without detriment to the interest of the department or institution maintained by the University, the Executive Council may make such appointment without obtaining the recommendation of the committee of selection constituted under sub-section (2) but the person so appointed shall not be retained on the same post for a period exceeding six months or appointed to another post in the service of the University except on the recommendation of the said committee of selection.

(2) The members of the committee of selection shall be-

- (i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman;
- (ii) one expert to be nominated by the Chancellor from a panel submitted by the Academic Council of three experts in the subject, not connected with the University in any manner whatsoever;
- (iii) three subject experts not connected with the University in any manner whatsoever, to be nominated by the Chancellor :

Provided that at least one of the three experts shall be nominated from the Scheduled Tribes, Scheduled Castes or Other Backward Classes and in case of non-availability of an expert from these categories, one Administrative Officer not below the rank of Divisional Commissioner, who belongs to these categories shall be nominated;

- (iv) the Secretary of Medical Education Department or Ayush Department, Government of Madhya Pradesh, as the case may be, or his nominee.

(3) Three members of the committee of selection shall form the quorum.

(4) The committee shall investigate the merits of the various candidates and shall recommend to the Executive Council the names, if any, of persons whom it considers suitable for the posts, arranged in order of merit :

Provided that no recommendation shall be made, unless at least two experts nominated under clause (iii) of sub-section (2) are present in the meeting in which such recommendation is to be decided upon.

(5) Out of the names so recommended under sub-section (4), the Executive Council shall appoint persons in order of merit.

Salaries of teachers paid by the University.

49. The payment of the salaries to the teacher of the University paid by the University shall be in accordance with scales fixed by the Executive Council by Ordinance with the prior approval of the State Government.

CHAPTER X EMERGENCY PROVISIONS

State Government to assume financial control in certain circumstances.

50. (1) If the State Government is satisfied that owing to maladministration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may, by notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall, in the first instance, remain in operation for a period of one year from the date specified in the notification and the State Government may, from time to time, by a like notification, extend the period of operation by such further period as it may think fit, provided that the total period of operation does not exceed three years.

(3) During the period the notification issued under sub-section (1) remains in operation, the executive authority of the State Government shall extend to giving of directions to the University to observe such canons of financial propriety as may be specified in the direction and to giving of such other directions as the State Government may deem necessary and adequate for the purpose.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, any such direction may include:-

- (i) a provision requiring, the submission of the budget to the State Government for sanction;
- (ii) a provision requiring the University to submit every proposal involving financial implications to the State Government for sanction;
- (iii) a provision requiring the submission of every proposal for revision of scales of pay and rates of allowances of the officers, teachers and other persons employed by the University to the State Government for sanction;
- (iv) a provision requiring the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons employed by the University;
- (v) a provision requiring the reduction in the number of officers, teachers and other persons employed by the University;
- (vi) a provision requiring the lowering down of scales of pay and rates of allowances; and
- (vii) a provision in regard to such other matters as may have the effect of reducing the financial strain on the University.

(5) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be binding on every authority of the University and every officer of the University to give effect to the direction given under this section.

(6) Every officer of the University shall be personally liable for misapplication of any fund or property of the University as a result of non-compliance of the direction given under this section to which he shall have been a party or which shall have happened through or been facilitated by gross neglect of his duty as such officer, and the loss so incurred shall, on a certificate issued by the Secretary to Government of Madhya Pradesh, Medical Education Department, be recovered from such officer as arrears of land revenue :

Provided that no action to recover the amount of loss as arrears of land revenue shall be taken until reasonable opportunity has been given to the person concerned to furnish an explanation and such explanation has been considered by the State Government.

51. (1) If the State Government, on receipt of a report or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the University cannot be carried out in accordance with the provisions of this Act, without detriment to the interests of the University and it is expedient in the interest of the University so to do, it may, by notification, for reasons to be mentioned therein, direct that the provisions of Sections 12, 13, 21 to 25, 27 and 41 shall, as from the date specified in the notification (hereinafter in this section referred to as the "appointed date"), apply to the University subject to the modifications specified in the Schedule.

Power of State Government to apply Act in modified form with a view to provide for better administration of the University in certain circumstances.

(2) The notification issued under sub-section (1) (hereinafter referred to as "the notification") shall remain in operation for a period of twelve months from the appointed date and the State Government may, from time to time, extend the period by such further period as it may think fit so however that the total period of operation of the notification does not exceed one year.

(3) As from the appointed date, the following consequences shall ensue, namely:—

- (i) during the period of operation of the notification this Act shall have effect subject to the modifications specified in the Schedule;
- (ii) the Vice-Chancellor holding office immediately before the appointed date, shall, notwithstanding that his term of office has not expired, vacate his office;
- (iii) every person holding office as member of the Court, the Executive Council or the Academic Council, as the case may be, immediately before the appointed date shall cease to hold that office;
- (iv) until the Court, the Executive Council or the Academic Council, as the case may be, is reconstituted in accordance with the provisions as modified, the Vice-Chancellor appointed under Section 12 and 13 as modified, shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed by or under this Act, on the Court, the Executive Council or Academic Council :

Provided that the Chancellor may, if he considers it necessary so to do, appoint a committee consisting of an educationist, an administrative expert and a financial expert to assist the Vice-Chancellor, so appointed in exercise of such powers and performance of such duties.

(4) The Chancellor shall simultaneously with the issue of the notification appoint the Vice-Chancellor under Sections 12 and 13 as modified and the Vice-Chancellor so appointed shall hold office during the period of operation of the notification :

Provided that the Vice-Chancellor may notwithstanding the expiration of the period of operation of the notification, continue to hold office thereafter until his successor enters upon office but this period shall not exceed one year.

(5) Before the expiration of the period of operation of the notification or immediately as early as practicable thereafter, the Vice-Chancellor shall take steps to constitute the Court, Executive Council and Academic Council in accordance with the provisions of the Act, as unmodified and the Court, Executive Council and Academic Council so constituted shall begin to function on the date immediately following the date of expiry to the period of operation of the notification or the date on which the respective bodies are so constituted, whichever is later :

Provided that if the Court, Executive Council and Academic Council are not constituted before the expiration of the period of operation of the notification, the Vice-Chancellor shall on such expiration, exercise the powers of each of these authorities subject to prior approval of the Chancellor till the Court, Executive Council or Academic Council, as the case may be, is so constituted.

Effect on expiration of the period of operation of notification under section 51.

52. On expiration of the period of operation of the notification issued under section 51, the provisions of this Act, as modified in application to the University mentioned in the notification shall cease to operate in respect thereof and the other relevant provisions of this Act shall revive and continue to apply thereto :

Provided that the expiration of the operation of the notification shall not affect —

- (a) previous operation of or anything done or suffered under the provisions as modified or any order made thereunder; or
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the provisions as modified or any order made thereunder; or
- (c) any investigation or remedy in respect of any such right, privilege, obligation or liability as aforesaid, and such investigation or remedy may be instituted or enforced as if the modified provisions had not ceased to apply.

CHAPTER XI SUPPLEMENTARY PROVISIONS

Disputes as to constitution of the University authorities and bodies.

53. If any question arises regarding the interpretation of any provision of this Act or any Statutes, Ordinances or Regulations or as to whether any person has been duly elected, appointed as or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to Chancellor whose decision thereon shall be final :

Provided that before taking any such decision the Chancellor himself or an officer nominated by him shall give the person or persons affected thereby a reasonable opportunity of being heard.

Explanation.— In this section, the expression—

- (a) “body” includes any committee constituted by or under this Act;
- (b) “appointed” does not include appointments to the salaried posts of the University.

Constitution of committees.

54. Where any authority of the University is given power by this Act, or the Statutes to appoint committees, such committees shall, save as otherwise provided, consist of members of the authority concerned and of such other persons, if any, as the authority in each case may think fit.

Filling of casual vacancies.

55. Save as otherwise provided in this Act, all casual vacancies among the members other than ex-officio members of any authority, committee or other body of the University shall be filled, as soon as conveniently may be, by the persons or the body who nominated, appointed, elected or co-opted the member whose place has become vacant and the person nominated, appointed,

elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority, committee or body for the remainder term for which the person whose place he fills would have been a member.

56. No act or proceeding of any authority, committee or body of the University shall be invalid merely by reason of—

- (a) any vacancy in or defect in the constitution thereof; or
- (b) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as a member thereto; or
- (c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

Proceedings of the University and bodies not invalidated by vacancies.

57. (1) Every salaried officer and teacher of the University paid by the University shall be appointed under a written contract which shall be lodged with the University and a copy thereof furnished to the officer or teacher concerned.

Conditions of service.

(2) Any dispute regarding service matters arising out of contract or otherwise between the University and any of its salaried employees shall be adjudicated upon by the Vice-Chancellor and an appeal against the Vice-Chancellor's decision shall lie to the Chancellor, who shall decide the dispute himself or refer it to a tribunal constituted for the purpose consisting of the following members, namely :

- (i) a Vice-Chancellor of any of the university of the State;
- (ii) the Secretary to Government of Madhya Pradesh in charge of Medical Education Department or Ayush Department;
- (iii) the Director, Medical Education Madhya Pradesh or Director Indian System of Medicine and Homeopathy.

58. The University shall constitute for the benefit of its officers, teachers, clerical staff and other employees in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes such pension, insurance and provident fund and institute such other benefits as it may deem fit.

Pension and Provident Fund.

59. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer, teacher or other employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done by him under this Act, or the Statutes, Ordinances or Regulations.

Protection of action taken in good faith.

60. No person shall impart instruction in the University or any college—

- (a) unless such person possesses the qualifications laid-down by the Academic Council in that behalf; and
- (b) except in such subject or subjects and upto the standard for which his qualifications have been approved by the Academic Council.

Approval for imparting instruction.

61. (1) Professors, Associate Professors, Readers, Assistant Professors, Lecturers and Heads of Department in colleges, schools and institutions fulfilling the academic and other qualifications and conditions of experience laid down by the Medical Council of India, the Dental Council of India, the Indian Nursing Council, the Central Council of Indian Medicine, the Central Council of Homeopathy or the Paramedical Council, as the case may be, and drawing pay in the pay scales approved by the concerning Council or approved by the State Government shall be recognised as Professors, Associate Professors, Readers, Assistant Professors, Lecturers and Heads of Department respectively by the University. Deans / Principals of colleges with a minimum of 15 years teaching experience of graduate / post graduate degree level in concerned subjects and drawing salary of the Dean / Principal approved by the State Government shall be recognised as professor by the University.

Classification of teachers.

(2) "Visiting Professor" means a professor invited by the Executive Council for a short term of not more than 6 months as stipulated in the contract.

(3) A teacher who is appointed on part time basis in any institution shall not be given recognition by the University.

Terms of office of members of authorities of the University.

62. (1) Wherever in accordance with this Act, any person is to hold an office or to be a member of any authority, by rotation according to seniority, such seniority in the absence of any provisions to the contrary in the Act, shall be determined in accordance with the Statutes :

Provided that till Statutes are made the seniority in particular cadre shall be determined by the length of continuous service in such a cadre and where the length of continuous service of two or more persons in the same cadre is the same, then seniority shall be determined by seniority in age.

(2) Wherever any person becomes a member of any authority by virtue of the post or office held by him or by virtue of possessing a specified qualification, he shall forthwith cease to be a member of such authority if he ceases to hold such post or office or if he ceases to possess such qualification before the expiry of the term of his membership :

Provided that he shall not be deemed to have ceased to hold his post or office merely by reason of his proceeding on leave for a period not exceeding four months.

Resignation of member or officer of the University.

63. (1) Any member, other than an ex-officio member of the Court, the Executive Council, the Academic Council, or any other University authority or committee or Dean of a Faculty, may resign by a letter addressed to the Registrar, and the resignation shall take effect as soon as the letter is received by the Registrar.

(2) Any officer of the University, whether salaried or otherwise, other than a Dean may resign his office by a letter addressed to the Registrar. Such resignation shall take effect from the date on which the same is accepted by the authority competent to fill the vacancy.

Disqualifications for being member of authority.

64. (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of any of the authorities of the University-

(a) if he is of unsound mind; or

(b) if he is an undischarged insolvent; or

(c) if he has been convicted by a court of law of an offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months.

(2) If any question arises as to whether a person is or has been subject to any of the disqualifications mentioned in sub-section (1), the question shall be referred for the decision of the Chancellor and his decision thereon shall be final and no suit or other proceeding shall lie in any court of law against such decision.

Power to remove member from Register of registered graduates and diploma holders or any authority or body of the University

65. (1) The Chancellor may on the request of the Executive Council, remove the name of any person from the Register of registered graduates and diploma holders and remove the name of any person from membership of any authority or body of the University, if :-

(i) he is guilty of gross misbehavior; and

(ii) he acts prejudicial to the interest of the University :

Provided that the Chancellor shall cause a preliminary enquiry to be made and if he is satisfied that prima facie case exists, he shall serve on such registered graduate or diploma holder or a member of any authority or body, as the case may be, a charge-sheet, in writing, stating the misbehaviour or the act prejudicial to the interest of the University, as the case may be.

(2) After taking into consideration the reply to the charge sheet submitted to him by the registered graduate or diploma holder or the member of the authority or body of the University, as the case may be, under sub-section (1), the Chancellor may, if he considers that further action is necessary, entrust the enquiry to a Tribunal consisting of a nominee of the Chancellor, a nominee of the Executive Council and a nominee of the accused registered graduate or diploma holder or the member, as the case may be.

(3) The Tribunal shall after giving the accused registered graduate or diploma holder or the member, as the case may be, an opportunity of being heard and examining such evidence as may be necessary, record its findings and forward it to the Chancellor.

(4) The Chancellor may, after considering the report of the Tribunal, pass such final orders as he considers necessary:

Provided that no order shall be passed unless the accused registered graduate or diploma holder or the member, as the case may be, has been given a reasonable opportunity to show cause as to why the proposed action should not be taken against him.

(5) The provisions of sub-section (1) to (4) shall not apply where the Chancellor is satisfied that in the interest of the University it is not expedient to hold such enquiry and to issue any show cause notice or to give an opportunity of being heard to any member nominated by him before the removal of such member.

66. If any difficulty arises as to the first constitution or reconstitution of any authority of the University after commencement of this Act, or otherwise in giving effect to the provisions of this Act, the State Government, as occasion may require, may by order do anything which appears to it necessary for the purpose of removing the difficulty.

Removal of difficulties.

THE SCHEDULE
[See Section 51]

1. Section 12 and 13-For Section 12 and 13 substitute:

“13. Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government and may be removed by the Chancellor in the like manner.”

Appointment of Vice-Chancellor

2. Section 21, 22, 23 and 24- For section 21, 22, 23 and 24 substitute:

“21. (1) The Court shall consist of the following:

Constitution of Court.

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) the Rector;
- (iv) the Secretaries to the Government of Madhya Pradesh, Medical Education and Ayush Departments;
- (v) the Director of Medical Education, Government of Madhya Pradesh;
- (vi) the Commissioner / Director, Indian System of Medicine and Homeopathy, Government of Madhya Pradesh;
- (vii) Dean Students Welfare;
- (viii) five members including not more than two representatives of students to be nominated by the State Government;
- (ix) two representatives of the Legislative Assembly to be elected by the Legislative Assembly from amongst its members and pending such election to be nominated by the Speaker.

(2) The term of all members of the Court other than representatives of students under clause (viii) of sub-section (1) shall be co-extensive with the period of operation of the notification issued under section 51 and the term of the representatives of students shall be one year from the date of their nomination or till the expiration of the period of operation of the notification, whichever is earlier.

Explanation.-For the purpose of clause (viii) of sub-section (1) the expression “student” shall have the meaning assigned to that expression in explanation (iii) under sub-section (1) of section 21 as unmodified.”.

Meetings of Court and quorum thereat.

“22. (1) The Court shall, on a date fixed by the Vice-Chancellor, meet once a year.

(2) The Vice-Chancellor may, whenever he thinks fit, and shall upon a requisition in writing signed by not less than one third of the members of the Court convene a special meeting of the Court as early as possible.

(3) Seven members of the Court shall form a quorum.”

Powers and duties of the Court.

“23. The Court shall be an advisory body and shall:-

- (a) advise the State Government in respect of such matters as may be referred to it for advice;
- (b) advise any authority or body of the University in respect of such matters as may be referred to it by such authority or body;
- (c) to confer degrees, diplomas and other academic distinctions on the recommendation of the Executive Council;
- (d) perform such other duties and exercise such other powers as may be assigned to it by or under this Act or the Statutes or Ordinances made thereunder or by the State Government.”

Executive Council.

“24. (1) Subject to the Control of the State Government, the Executive Council shall be the executive body of the University and shall notwithstanding anything contained in this Act, consist only of the following persons, namely :-

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) the Rector;
- (iii) the Secretaries in charge of Medical Education and Ayush Departments, Government of Madhya Pradesh or their representatives not below the rank of Deputy Secretary;
- (iv) Director of Medical Education, Government of Madhya Pradesh;
- (v) Commissioner / Director, Indian System of Medicine and Homeopathy, Government of Madhya Pradesh;
- (vi) two members to be nominated by the Chancellor from amongst eminent public men and educationists.

(2) The term of all members of the Executive Council shall be co-extensive with the period of operation of the notification issued under section 51.

(3) Four members of the Executive Council shall form a quorum.”

3. Section 25- Renumber section 25 as sub-section (1) thereof and after sub-section (1) as so renumbered insert:

Powers and duties of the Executive Council.

“(2) The Executive Council shall, in exercise of the powers and performance of duties under sub-section (1), be subject to the control of the State Government.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act the annual accounts and the financial estimates shall be considered by the State Government who may communicate its views to the Executive Council which shall take them into consideration and take such action thereon as it thinks fit and inform the State Government when no action is taken, of its reasons thereof.”

4. Section 27-For section 27 substitute:

“27. (1) The Academic Council shall be the academic body of the University consisting of the following members, namely: **Academic Council.**

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) the Rector ;
- (iii) the Director of Medical Education, Government of Madhya Pradesh;
- (iv) the Commissioner/Director, Indian System of Medicine and Homeopathy, Government of Madhya Pradesh;
- (v) All Deans of faculty;
- (vi) the Chairman of the Board of Studies;
- (vii) all Heads of Department of the University;
- (viii) seven teachers to be nominated by the Chancellor.

(2) The term of the nominated members of the Academic Council shall be co-extensive with the period of operation of the notification issued under section 51.

(3) Seven members of the Academic Council shall form a quorum.”

5. Section 41- In Section 41 for sub-section (3), substitute:

Regulations.

“(3) Subject to the control of the State Government, the Executive Council may modify or annul any Regulation made under this section by an authority, committee or body.”

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त 2023—श्रावण 13, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2023

क्र. 13054-161-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 अगस्त, 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् २०२३

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२३

[दिनांक २ अगस्त, २०२३ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ४ अगस्त, २०२३ को प्रथमबार प्रकाशित की गईं.]

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२३ है.

धारा १२ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १९ सन् २०११) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १२ की उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (२) या उपधारा (६) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम ३ व्यक्तियों की तालिका (पैनल) में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी. सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता रखने वाले व्यक्ति को ही कुलपति नियुक्त किया जाएगा. इस प्रकार कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को किसी शासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में कम से कम १० वर्ष का अनुभव होना चाहिए या राष्ट्रीय स्तर के किसी प्रतिष्ठित शासकीय अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में नेतृत्व के साथ विख्यात शिक्षाविद् होने का १० वर्ष का अनुभव होना चाहिए:

परन्तु यदि समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति, नियुक्ति स्वीकार करने का इच्छुक न हो तो कुलाधिपति ऐसी समिति से नई सिफारिशें मंगा सकेगा:

परन्तु यह और कि प्रथम कुलपति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि कोई व्यक्ति जिसने ६६ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, कुलपति के रूप में नियुक्त या पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.”.

धारा १७ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(२) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों में से, जिन्हें आचार्य के पद पर कम से कम ५ वर्ष का अनुभव हो या राज्य शासन के अधीन ऐसे अधिकारियों, जिन्हें उपसचिव या उसके समकक्ष स्तर के किसी पद पर कम से कम ५ वर्ष का अनुभव हो, में से प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी.”.

धारा १९ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा शासकीय महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों, जिन्हें आचार्य के पद पर कम से कम ३ वर्ष का अनुभव हो या राज्य शासन के ऐसे अधिकारी, जो उपसचिव या उसके समकक्ष पद पर कम से कम ३ वर्ष का अनुभव रखते हों, में से प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी.”.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2023

क्र. 13054-161-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 (क्रमांक 19 सन् 2023) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 19 OF 2023

**THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2023**

[Received the assent of the President on the 2nd August, 2023; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 4th August, 2023.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fourth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023. **Short title.**

2. For sub-section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 19 of 2011) (hereinafter referred to as the principal Act), the following sub-section shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 12.**

“(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of not less than three persons recommended by the committee constituted under sub-section (2) or sub-section (6). A person possessing the highest level of competence, integrity, moral and institutional commitment shall be appointed as Vice-Chancellor. The person so appointed as Vice-Chancellor shall have at least 10 years experience as a Professor in a Government College or University or shall be a distinguished academican with 10 years of experience and demonstrated academic leadership in a reputed Government research or academic administrative organization at the national level :

Provided that if the person or persons approved by the Chancellor out of those recommended by the committee are not willing to accept the appointment, the Chancellor may call for fresh recommendations from such committee:

Provided further that the first Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government:

Provided also that no person who has attained the age of sixty-six years shall be eligible for appointment or reappointment as Vice-Chancellor.”.

Amendment of Section 17.

3. For sub-section (2) of Section 17 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(2) The Registrar shall be appointed by the State Government on deputation from amongst such teachers with a minimum of 5 years of experience on the post of Professor of Government College or Universities or from among such officers serving under the State Government with at least 5 years’ of experience at the level of Deputy Secretary or its equivalent.”.

Amendment of Section 19.

4. For sub-section (1) of Section 19 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) The Controller of Examinations shall be appointed on deputation by the State Government from amongst such teachers of Government Colleges or Universities with a minimum of 3 years of experience on the post of Professor or such officers of the State Government with a minimum of 3 years’ of experience at the level of Deputy Secretary or its equivalent.”.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 मार्च 2024—फाल्गुन 17, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2024

क्र. 4355-56-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 मार्च, 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०२४

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२४

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.
२. अधिनियम के वृहद् शीर्ष का संशोधन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा ५ का संशोधन.
५. धारा ६ का संशोधन.
६. धारा २१ का संशोधन.
७. धारा २४ का संशोधन.
८. धारा २८ का संशोधन.
९. धारा ६१ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०२४

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२४

[दिनांक 7 मार्च, 2024 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई ; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 7 मार्च, 2024 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा और इस संशोधन अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १९ सन् २०११) के अधीन मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध बैचों पर लागू नहीं होगी.

अधिनियम के वृहद् शीर्ष का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १९ सन् २०११) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के वृहद् शीर्ष में, शब्द "नर्सिंग" तथा शब्द "सह-चिकित्सा" का लोप किया जाए.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,-

(क) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(ग क) “मण्डल” से अभिप्रेत है, कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल.”.

(ख) खण्ड (घ) का लोप किया जाए.

(ग) खण्ड (फ) का लोप किया जाए.

(घ) खण्ड (य ज) का लोप किया जाए.

धारा ५ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ५ में, खण्ड (तैतीस) में, शब्द “व्यापम” के स्थान पर, शब्द “कर्मचारी चयन मण्डल” स्थापित किए जाएं.

धारा ६ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ६ में,-

(एक) उपधारा (२) में, शब्द “नर्सिंग” तथा शब्द “सह-चिकित्सा” का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“(३) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात—

(क) ऐसे महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी, जिन्हें यथास्थिति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् द्वारा या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो;

- (ख) चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग नेचुरोपैथी, सिद्ध या सहबद्ध विषयों के अध्यापन में लगे हुए किसी विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग को लागू नहीं होगी;
- (ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा संधारित या संबद्ध महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी.”.

६. मूल अधिनियम की धारा २१ में, उपधारा (१) में, समूह-ग में, खण्ड (बारह) में, शब्द “नर्सिंग” तथा शब्द “सह-चिकित्सा” का लोप किया जाए. धारा २१ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा २४ में, उपधारा (१) में,- धारा २४ का संशोधन.

(एक) खण्ड (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(सात) संबद्ध महाविद्यालयों से दो विभागाध्यक्ष, जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे.”.

(दो) खण्ड (दस) में, शब्द “नर्सिंग” तथा शब्द “सह-चिकित्सा” का लोप किया जाए.

८. मूल अधिनियम की धारा २८ में, उपधारा (१) में, खण्ड (पांच) के परन्तुक में, शब्द “भारतीय नर्सिंग परिषद्” तथा शब्द “अथवा सह-चिकित्सा परिषद्” का लोप किया जाए. धारा २८ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ६१ में, उपधारा (१) में, शब्द “भारतीय नर्सिंग परिषद्” तथा शब्द “या सह-चिकित्सा परिषद्” का लोप किया जाए. धारा ६१ का संशोधन.

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2024

क्र. 4355-56-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No 2 OF 2024

THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN VISHWAVIDYALAYA

(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2024

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment to the long title of the Act.
3. Amendment of Section 2.
4. Amendment of Section 5.
5. Amendment of Section 6.
6. Amendment of Section 21.
7. Amendment of Section 24.
8. Amendment of Section 28.
9. Amendment of Section 61.

MADHYA PRADESH ACT

No 2 OF 2024

THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN VISHWAVIDYALAYA
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2024

[Received the assent of the Governor on the 7th March, 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 7th March, 2024.]

An Act to further amend the Madhya Pradesh Ayurvedic Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Ayurvedic Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2024.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette and nothing contained in this Amendment Act shall apply to batches affiliated to the Madhya Pradesh Ayurvedic Vishwavidyalaya under the Madhya Pradesh Ayurvedic Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 19 of 2011) before the commencement of this Act.

Amendment to the long title of the Act.

2. In the long title of the Madhya Pradesh Ayurvedic Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 19 of 2011), (hereinafter referred to as the principal Act), the word "Nursing" and the word "Paramedical" shall be omitted.

Amendment of Section 2.

3. In Section 2 of the Principal Act,-

(a) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ca) “Board” means the Employees Selection Board, Madhya Pradesh, Bhopal.”.

(b) Clause (s) shall be omitted.

(c) Clause (v) shall be omitted.

(d) Clause (zh) shall be omitted.

Amendment of Section 5.

4. In Section 5 of the principal Act, in clause (xxxiii), for the word "VYAPAM", the words "Employees Selection Board" shall be substituted.

Amendment of Section 6.

5. In Section 6 of the Principal Act,-

(i) in sub-section (2), the words "Nursing" and the word "Paramedical" shall be omitted;

(ii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(3) Nothing contained in this section shall apply in case of—

(a) the colleges or schools or institutions which have not been approved by the Medical Council of India, Dental Council of India, Central Council of Homeopathy, Central Council of Indian Medicine, as the case may be, or the Government of Madhya Pradesh;

(b) teaching department of any University engaged in teaching of Medical, Dental, Ayurvedic, Unani, Homeopathy, Yoga, Naturopathy, Siddh or allied subjects;

(c) the colleges or schools or institutions maintained by, or affiliated to, a University or Board established by the Central Government.”.

<p>6. In Section 21 of the Principal Act, in sub-section (1), in Group-C, in clause (xii), the word "Nursing" and word "Paramedical" shall be omitted.</p>	<p>Amendment Section 21.</p>	<p>of</p>
<p>7. In Section 24 of the Principal Act, in sub-section (1),-</p>	<p>Amendment Section 24.</p>	<p>of</p>
<p>(i) for clause (vii), the following clause shall be substituted, namely:-</p>		
<p>“(vii) two heads of Department from affiliated colleges to be nominated by the Chancellor by rotation, according to seniority.”.</p>		
<p>(ii) in clause (x), the word "Nursing" and the word "Paramedical" shall be omitted.</p>		
<p>8. In Section 28 of the Principal Act, in sub-section (1), in the proviso to clause (v), the words "Indian Nursing Council" and the words "or Paramedical Council" shall be omitted.</p>	<p>Amendment Section 28.</p>	<p>of</p>
<p>9. In Section 61 of the Principal Act, in sub-section (1), the words "the Indian Nursing Council", and the words "or the Paramedical Council" shall be omitted.</p>	<p>Amendment Section 61.</p>	<p>of</p>